

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 1415/उन्तीस (1)/2011-(34 अधि०)/ 07 दिनांक 23.12.2011 द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011 को प्रख्यापित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुपालन में प्रधान कार्यालय, देहरादून के ज्ञाप सं० 18/ बोर्ड बैठक (सेवा विनियमावली)/11 दिनांक 16.01.2012 द्वारा उक्त सेवा विनियमावली प्रख्यापित की गयी है। प्रख्यापित सेवा विनियमावली के बिन्दु-11 (तकनीकी अर्हताये) के उप बिन्दु-3 में यह उल्लिखित किया गया है कि "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के किसी अपर सहायक अभियन्ता या संगणक को विनियम 5(1)(एफ)(दो) के अधीन सहायक अभियन्ता (सिविल या विद्युत/यॉंत्रिक) के पद पर, तब तक पदोन्नत नहीं किया जाये जब तक कि वह तथास्थिति ऐसी अर्हता परीक्षा जिसे निगम विशिष्ट करें, उत्तीर्ण न कर लें या विनियम 5(1) व 5(2) में निहित तकनीकी अर्हता प्राप्त न कर लें।

प्रख्यापित विभागीय सेवा विनियमावली के अनुरूप अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय अर्हता परीक्षा में छूट प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने अपने पत्र सं० 162/संघ-2009-2011 देहरादून दिनांक 05.03.2012 (पताका-1) द्वारा प्रख्यापित सेवा विनियमावली में विभागीय परीक्षा की शर्त को विलुप्त किये जाने एवं सेवा विनियमावली में संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया था उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया था कि तत्कालीन उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रख्यापित अभियंत्रण सेवा विनियमावली में भी उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विभागीय अर्हता परीक्षा में छूट प्रदान की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र सं० 2719/नौ-3-99-297सी/92 दिनांक 12.11.99 (पताका-2) द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त को विलुप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र सं० 1350/प्र-1/जल निगम अनु०/35/2000 दिनांक 24.06.2000 (पताका-3) द्वारा लागू करते हुए उ०प्र० जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली-1978 के विनियम-5(1)(क)(दो) में भी आवश्यक संशोधन किया गया है। यहाँ यह सूचित किया जाना भी प्रासंगिक होगा कि उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग एवं उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में प्रख्यापित अभियंत्रण सेवा विनियमावली में अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु कोई विभागीय अर्हता परीक्षा आयोजित किये जाने का उल्लेख नहीं है। विभागीय प्रख्यापित सेवा विनियमावली में कतिपय त्रुटियों के सम्बन्ध में प्रधान कार्यालय, देहरादून के पत्र सं० 341/अधि०अनु०/अधि०सहा०अभि०/06 दिनांक 28.02.2012 द्वारा (पताका-4) द्वारा संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं,

2

(टिप्पणी एवं आदेश)

जिसके अनुक्रम में प्रख्यापित सेवा विनियमावली में अर्हता परीक्षा में छूट प्रदान किये जाने हेतु पत्र संख्या 401/अधि0अनु0-अधि0सहा0अभि0/08, दिनांक 16.03.12 (पताका-5) द्वारा प्रमुख सचिव (पेयजल), उत्तराखण्ड शासन को विभागीय सेवा विनियमावली में संशोधन करने हेतु प्रकरण पूर्व ही संदर्भित है।

उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने पुनः अपने पत्र संख्या 280/ग्रान्तीय अध्यक्ष/2012-14, दिनांक 18.08.2012 (पताका-6) द्वारा पुनः अर्हता परीक्षा में छूट प्रदान किये जाने एवं तत्काल डी0पी0सी0 कराकर अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु अनुरोध किया है, उनके द्वारा अपने उक्त पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि सेवा विनियमावली में अर्हता परीक्षा का प्राविधान होने के कारण लगभग दो वर्षों से पदोन्नति हेतु डी0पी0सी0 न होने के कारण 30-35 वर्षों के सेवा के बाद भी बिना पदोन्नति के उनके सदस्य सेवानुवृत्त होते जा रहे हैं, उनके द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली 2011 के नियम 28 के अनुरूप भी विभाग की सेवा विनियमावली के किसी भी विनियम में सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त शिथिलता प्रदान करने हेतु अधिकृत किये जाने का उल्लेख किया गया है।

सेवा विनियमावली में "सेवा की शर्तों में शिथिलता" में यह उल्लेख किया गया है कि - जहाँ निगम का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में, अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ निगम, उस मामले में, प्रयोज्य विनियम में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस विनियम की उपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उस मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम हेतु प्रख्यापित सेवा विनियमावली में अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर विभागीय अर्हता परीक्षा में शिथिलता/छूट प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहेंगे।

मुख्य अभियन्ता (मु0)

श्री अरुण कुमार प्रोबि (मु0)  
29/8/12  
CE(XV)

25/8/12  
महाप्रबन्धक (मुजल/सर्वेक्षण)

प्रमुख अभियन्ता (मु0) के द्वारा विद्वेषक नही (1) वर्तमान में 'चयन-नतीजे' में 'आरक्षण' को लेकर शासन से जो ऑर्डर पुर रोक है, जो रटने के कारण नतीजे आगे नहीं आ पाये है।  
अर्हता परीक्षा पूर्ण करने में छूट का प्राविधान विनियमावली से तब तक शासन द्वारा मिलान न कर दिया जाये, तब तक इस सम्बन्ध में

**(टिप्पणी एवं आदेश)**

पदोन्नति के हर मामले के लिये कोई अपन एड (अपन-एड) शीर्षकता/घूट प्रदान नहीं की जा सकती है, बल्कि नियमावली के नियम 28 के प्रावधानों के तहत, किसी लोरीयट मामले में, भ्रष्टाचार और गैर-सामान्य पदोन्नति हेतु प्रस्तावित, एवं अन्तर्गत नियमानुसार अर्ह, अपर सहायक अभियन्ता(ओ)/कार्यक अभियन्ता(ओ) संगणकों) विशेष हेतु घूट प्रदान करने पर/श्रीलंका करने पर तैयार किया जाये व तदनुसार आदेश लिये जाने लेंगे।

10/9/12

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

उक्त प्रश्न-क निवेदन नं. 01 उक्त टिप्पणी दि. 1.9.12 के संदर्भ में संगोष्ठी प्रस्ताव प्रकाशित प्रकृत को (10/9/12) के संदर्भ में

सहायक अभियन्ता (उत्तर)

कृपया कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/बोर्ड बैठक (सेवा विनियमावली)/11, दिनांक 16.01.2012 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अभियन्ताओं पर लागू होने वाली उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011 प्रख्यापित की गयी है। उक्त प्रख्यापित नियमावली के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल/वि0याँ0) के पदों पर पदोन्नति हेतु विनियम प्रतिस्थापित है।

उक्त विनियमावली के भाग-3 भर्ती-भर्ती का अंत 5.1) विनियम 'क' सहायक अभियन्ता (सिविल/वि0याँ0) टिप्पणी में स्पष्ट है कि प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ व्यक्तियों को नियुक्ति से पूर्व किसी चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा नियुक्ति प्राधिकारी नहीं करेगा। शेष पद आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है।

1. उक्त टिप्पणी के परिपेक्ष्य में अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 443/अधि0अनु0-अधि0कनि0अभि0/23, दिनांक 20.03.2012 के द्वारा अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु विधि सम्मत आवश्यक परामर्श निगम को देने हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु आयोग से इस सम्बन्ध में कोई मार्ग दर्शन प्राप्त न होने के उपरान्त पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 678/अधि0अनु0-अधि0कनि0अभि0/35, दिनांक 27.04.2012 के द्वारा पुनः वांछित मार्ग दर्शन हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु लोक सेवा आयोग के माध्यम से आतिथि तक कोई मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है।


## (टिप्पणी एवं आदेश)


2. उक्त सन्दर्भित सेवा विनियमावली के तकनीकी अर्हता विनियम-11 के बिन्दु-03 में उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के किसी अपर सहायक अभियन्ता या संगणक को विनियम 5(1)(एक)(दो) के अधीन सहायक अभियन्ता (सिविल या वि०/यौ०) के पद पर तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा, जब तक की वह तथ्यास्थाति ऐसी अर्हता परीक्षा जिसे निगम विहित करें, उत्तीर्ण न कर लें, या विनियम 5(1) व 5(2) में निहित तकनीकी अर्हता प्राप्त न कर लें, का उल्लेख किया गया है।


प्रश्नगत बिन्दु-02 के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता परीक्षा में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में अनुरोध किया गया है, जिस पर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा किसी विशिष्ट मामले में यथा समय डी०पी०सी० में पदोन्नति हेतु प्रस्तावित, एवं अन्यथा नियमानुसार अर्ह, अपर सहायक अभियन्ताओं/कनिष्ठ अभियन्ताओं/संगणकों को विशेष छूट प्रदान करने पर/शिथिल करने पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में की गयी टिप्पणी को दृष्टिगत रखते हुए अवगत कराना है कि सेवा की शर्तों में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में शिथिलता विनियम-28 के अन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जहाँ निगम का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से, किसी विशिष्ट मामले में, अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ निगम, उस मामले में, प्रयोज्य विनियम में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस विनियम की उपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उस मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकता है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में बिन्दु-01 में सन्दर्भित लोक सेवा आयोग के माध्यम से वांछित परामर्श प्राप्त न होने तथा बिन्दु-02 में अर्हता परीक्षा जिसे निगम विहित करें के सम्बन्ध में विनियम-28 में निहित प्राविधानों के आलोक में अपर सहायक अभियन्ता (सिविल/वि०यौ०) से सहायक अभियन्ता (सिविल/वि०यौ०) के पद पर विशिष्ट परिस्थितियों में पदोन्नति किये जाने हेतु छूट प्रदान किया जाना समीचीन होगा। उल्लेखनीय है कि चयन वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नतियों विचाराधीन है तथा अनेक अभियन्ता अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात विभाग से सेवा मुक्त हो जायेंगे, जिस कारण विभाग में सहायक अभियन्ताओं की अत्यन्त कमी हो जायेगी तथा निगम के कार्य भी प्रभावित होंगे।

उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बिन्दु संख्या-01 लोक सेवा आयोग के माध्यम से वांछित परामर्श एवं बिन्दु संख्या-02 के अन्तर्गत अर्हता परीक्षा जिसे निगम विहित करें, ~~से~~ विशिष्ट परिस्थितियों में वर्ष 2012-13 के चयन वर्ष हेतु पदोन्नति में छूट प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे।

  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रबन्ध निदेशक

  
18/05

  
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)  
12/09/2012

अधिसूचना  
कैबिनेट/संयुक्त आदेश/संगणक संदर्भ के तहत  
कार्य को की सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु निगम द्वारा  
में किया जाना है, उन विशिष्ट मामलों के लिए परीक्षा में  
छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) 12/09/2012

(टिप्पणी एवं आदेश)

5

पृष्ठ M.D नं० की दिनांक 19.5.12 के अनुसार

प्रस्तुत करें

20/9/12

महापुत्र-पुत्र (संलग्न/नहीं)

वर्तमान में सहायक अभियन्ता (सिविल सवंग) की रिक्तियों का विवरण :-

क्र० सं०	विवरण	कुल स्वीकृत पद	प्रतिशत	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
	कुल स्वीकृत पद	191				
01.	सीधी भर्ती के पद	74	39%			
	पदोन्नति के पद					
02.	डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)/अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता		50%	96	66	30
03.	ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता		8.33%	16	5	11
04.	संगणक से सहायक अभियन्ता		2.67%	05	02	03
	कुल पद			117	73	44
	पदोन्नति के कुल रिक्त पद					44

अगस्त वर्ष 2012-2013 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता पद हेतु कुल पदोन्नत रिक्तियों का विवरण :-

क्र० सं०	विवरण	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	डिप्लोमा प्राप्त अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल)	96	66	30
2	30.06.2012 तक सहा०अभि० (सिविल) के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पद (डिप्लोमा प्राप्त)।	0	0	7
3	ऐसे अपर सहायक अभियन्ता जो अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत होने के उपरान्त दिनांक 30.06.2012 तक सेवानिवृत्त हो जायेंगे।	0	0	2
4	ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता	16	5	11
5	30.06.2013 तक ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण सहायक अभियन्ता (सिविल) के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पद।	0	0	0
6	संगणक से सहायक अभियन्ता	5	2	3
7	30.06.2012 तक संगणक से सहायक अभियन्ता (सिविल) के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पद।	0	0	0
8	ऐसे संगणक से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत होने के उपरान्त दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त हो जायेंगे।	0	0	3
	कुल रिक्त पदों का योग			56

पर  
पुस्त  
पके

निक  
तथा

चित  
में  
ने  
के

5

17

2

49

2(A)

353

2554

2373

2387

2392

2430

त्र संख्या  
के द्वारा  
हे समस्त  
किये बिना  
किये बिना

द रिक्त  
के पदों

के पद

भियन्ता  
न है कि  
को प्रथम  
वर्ष 06 मा  
11 के  
ता के आ

सेवा अ  
यक अभि  
यक अभि

6

प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्तियों अनुसार अभ्यर्थियों का विवरण।

(टिप्पणी एवं आदेश)

क्रमांक	कामिक का नाम (सर्वे श्री)	पिता / पति का नाम	कनिष्ठ अभि. के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	अपर सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति पर निम्नलिखित आदेश की तिथि	वर्षिकता क्रमांक
01	02	03	04	05	06
01	दिनेश चन्द मित्तल	श्री एम0एस0 मित्तल	02-04-1978	23-12-2011	972
02	राजेश चन्द मित्तल	श्री जय प्रकाश मित्तल	15-01-1979	23-12-2011	1474
03	राजेंद्र पाल	श्री खेम चन्द गुप्ता	13-02-1979	01-09-2011	1484
04	मुंशी यादव	श्री रामनरेश यादव	18-01-1979	01-09-2011	1490
05	मुन्नुलाल गुप्ता	श्री काशीराम गुप्ता	14-12-1979	01-09-2011	1532
06	सुमान अली	श्री करम कमल्लाल	28-12-1979	01-09-2011	1546
07	ब्यू.एम. जैदी	श्री अतर हसन जैदी	05-12-1979	01-09-2011	1575
08	सुशील कुमार शर्मा	श्री प्रेम दत्त शर्मा	10-12-1979	01-09-2011	1595
09	मनमोहन सिंह सरपाल	श्री मेगा मल सरपाल	28-12-1979	23-12-2011	1600
10	महेश चन्द दुर्गपाल	श्री एस0बी0 दुर्गपाल	14-01-1980	01-09-2011	1614
11	उमराव सिंह घुघत्याल	श्री देव सिंह घुघत्याल	01-01-1980	01-09-2011	1622
12	बसन्त कुमार तिवारी	श्री जीवनन्द तिवारी	01-12-1979	01-09-2011	1627
13	धवस नाथ राय	श्री एस0एन0 राय	18-12-1979	01-09-2011	1664
14	हरीश चन्द पाठक	श्री रामसुभग पाठक	03-12-1979	01-09-2011	1676
15	मोहनचन्द उप्रेती	श्री दत्त दत्त उप्रेती	27-11-1979	01-09-2011	1701
16	राजेंद्र सिंह	श्री ज्ञान सिंह	23-12-1979	23-12-2011	1751
17	नर सिंह तिवारी	श्री पारस नाथ तिवारी	28-11-1979	01-09-2011	1755
18	प्रेम सिंह रावत	श्री गुमान सिंह रावत	31-12-1979	19-01-2012	1756
19	सुरेश कुमार	श्री हरकिरण सिंह	19-12-1979	01-09-2011	1758
20	हरिशंकर मिश्रा	श्री आर0ए0 मिश्रा	10-12-1979	01-09-2011	1760
21	सुधीर कुमार	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	31-05-1980	01-09-2011	1765
22	सूर्यभानु विश्वकर्मा	श्री फूलचन्द विश्वकर्मा	14-11-1980	23-12-2011	1780
23	निर्मल कुमार दूरे	श्री मुन्ना लाल दूरे	15-11-1980	01-09-2011	1783
24	नरेश कुमार चौहान	श्री इन्द सिंह चौहान	23-11-1980	23-12-2011	1792
25	शीलेश चन्द रमोला	श्री भीमचन्द रमोला	12-09-1983	01-09-2011	1823
26	कमलेश कुमार भट्ट	श्री तारा दत्त भट्ट	19-09-1983	01-09-2011	1837
27	मदन पुरी	श्री विशन पुरी	13-09-1983	23-12-2011	1851
28	रामजीराम वर्मा	श्री परदेव राम	26-09-1983	01-09-2011	1888
29	केशवदत्त भट्ट	श्री सदा चन्द भट्ट	06-09-1983	01-09-2011	1907
30	अरविन्द कुमार चतुर्वेदी	श्री हरगोविन्द चतुर्वेदी	10-10-1983	01-09-2011	1921
31	सतीश कुमार शर्मा	श्री एर0ए0 शर्मा	17-09-1983	01-09-2011	1944
32	प्रदीप कुमार अग्रवाल	श्री ब्रह्मा चन्द अग्रवाल	10-10-1983	23-12-2011	1947
33	उपेंद्र कुमार	श्री लाल सिंह	10-10-1983	01-09-2011	1962
34	कान्ताप्रसाद सती	श्री धर्मानन्द सती	24-09-1983	01-09-2011	1972
35	गिरिजाभूषण जोशी	श्री हरिनन्दन जोशी	15-09-1983	23-12-2011	1978
36	राधा कृष्ण सिंह	श्री असरणी लाल	02-10-1983	01-09-2011	1979
37	अरुण कुमार त्यागी	श्री कृष्ण कुमार त्यागी	08-09-1983	01-09-2011	1989
38	मुकेश चन्द जोशी	श्री केशव दत्त जोशी	22-09-1983	19-01-2012	2007
39	ठाकुर दत्त गुसाई	श्री चर्मचन्द गुसाई	12-10-1983	01-09-2011	2008
40	राम अवतार सिंह	श्री राम कुमार सिंह	18-09-1983	22-12-2011	2023
41	दिनेश चन्द चन्दोला	श्री जे0डी0 चन्दोला	10-10-1983	01-09-2011	2026
42	कृष्ण माहन सिंह	श्री भगवान सिंह	13-09-1983	01-09-2011	2038
43	सत्य पाल सिंह देवरा	श्री धीरज सिंह	22-09-1983	01-09-2011	2040
44	दान सिंह रावत	श्री लक्ष्मण सिंह रावत	30-08-1983	01-09-2011	2047
45	तोता राम जगुडी	श्री सरजु राम जगुडी	06-09-1983	01-09-2011	2057

46	रविशंकर गुरा	श्री ब्रह्मानन्द गर्ग	07-10-1983	01-09-2011	2071
47	शिवराज	श्री धर्मराज	08-09-1983	01-09-2011	2094
48	हेमचन्द्र जोशी	श्री हीरा बल्लभ जोशी	07-10-1983	01-09-2011	2095
49	लक्ष्मीनारायण चन्दोला	श्री कृतराम चन्दोला	29-09-1983	01-09-2011	2099
50	के०एन० पाण्डे	श्री राधा बल्लभ पाण्डे	20-09-1983	01-09-2011	2114
51	गोविन्द बल्लभ पाटनी	श्री मन्द किशोर पाटनी	15-09-1983	01-09-2011	2141
52	अजयपाल सिंह	श्री राम सिंह	16-01-1984	01-09-2011	2209
53	शर्मानन्द त्रिपाठी	श्री संकटा प्रसाद त्रिपाठी	21-02-1984	01-09-2011	2325
54	एन०के० गोयल	श्री नारायण दास गोयल	21-01-1984	01-09-2011	2347
55	सुरेश सिंह	श्री एस०पी० सिंह	16-02-1984	01-09-2011	2349
56	आर०के० काम्बोज	श्री त्रिलोक चन्द्र	16-02-1984	01-09-2011	2352(A)
57	शिववीर सिंह चौहान	श्री कन्हई सिंह चौहान	16-02-1984	01-09-2011	2353
58	प्रवेश कुमार सहगल	श्री के०एल०सहगल	22-02-1984	01-09-2011	2354
59	राकेश कुमार त्रिपाठी	श्री पारस नाथ तिवारी	18-08-1984	23-12-2011	2373
60	सुरेश नारायण सिंह	श्री दिश्वनाथ सिंह	12-09-1984	01-09-2011	2387
61	विजय कुमार गोयल	श्री भगवती प्रसाद गोयल	11-09-1984	01-09-2011	2392
62	देवेश कुमार पन्त	श्री एच०सी० पन्त	14-09-1984	01-09-2011	2430

शक्ति पर  
पुस्तक केमें  
क तथाचित  
में  
केमें  
यक  
तुति

राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 902/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनुभाग-2, दिनांक 05.09.2012 के द्वारा राज्याधीन लोक सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न संगठनात्मक दौड़ों में प्रोन्नति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरा जाने का प्राविधान किया गया है।

अतः वर्तमान में अनुसूचित जाति के 11 एवं अनुसूचित जनजाति के 04 पद रिक्त हैं, किन्तु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त 15 पदों को सामान्य स्तर के पदों में जोड़ते हुए कुल 30 पदों की रिक्तियों की गणना की गयी है।

### 2.67 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत संगणक से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011 के भाग-3 भर्ती का स्रोत के विनियम 3 के अन्तर्गत प्रावधान है कि 2.67 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्ति ऐसे संगणकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष को प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें से कम से कम 02 वर्ष 06 माह की सेवा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक-2011 के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

**टिप्पणी :-** परन्तु यह भी कि सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गयी सेवा, जहाँ अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गयी हो वहाँ कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गयी सेवा अवधि आगणित कर की जायेगी।

वर्तमान में संगणक (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु उपलब्ध संगणकों का विवरण।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पिता / पति का नाम	मानचित्रक के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि	संगणक के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि
01	02	03	04	05
01	श्री हर्षमणि पन्त	स्व0 श्री रयाम लाल पन्त	24-07-1972	22-09-2001
02	श्री घनदन सिंह बिष्ट	स्व. श्री नारायण सिंह बिष्ट	15-12-1972	10-02-2004
03	श्री शेखर चन्द्र तिवारी	श्री गोपाल दत्त तिवारी	22-12-1972	10-02-2004
04	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	स्व. श्री रघुनाथ सिंह राणा	25-05-1974	28-10-2006
05	श्री लक्ष्मी प्रसाद रतूड़ी	श्री जानानन्द रतूड़ी	24-11-1977	23-10-2006
06	श्री हरक सिंह मेहता	श्री माधो सिंह मेहता	20-12-1977	22-10-2006
07	श्री देवेन्द्र लाल वर्मा	श्री भयानी लाल वर्मा	20-12-1977	26-02-2009
08	श्री मोहन चन्द्र पाण्डे	श्री चारु चन्द्र पाण्डे	26-12-1977	26-02-2009
09	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	श्री आलम सिंह रावत	27-12-1977	26-02-2009
10	श्री भगवान सिंह भण्डारी	श्री रणजीत सिंह	05-01-1978	26-02-2009

ए0एम0आई0ई0/बी0ई0 8.33 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत :-

ए0एम0आई0ई0/बी0ई0 (8.33 प्रतिशत कोटा) उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत 16 पदों के सापेक्ष 05 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत 11 सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद रिक्त हैं।

विभाग में ए0एम0आई0ई0/बी0ई0 कोटे के अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित सेवा विनियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कोई कार्मिक पात्र न होने के कारण 11 पद (जिनमें 04 पद अनुसूचित जाति के हैं) को सेवा विनियमावली के भाग-3 भर्ती, भर्ती का स्रोत 5 के विनियम-02 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सामान्य, कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ताओं से पदोन्नति द्वारा भरे जाने को दृष्टिगत रखते हुए 11 पद को 50 प्रतिशत डिप्लोमा प्राप्त अपर सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु कुल 30 + 11 = 41 गणना र्व जानी है।



वर्तमान में सहायक अभियन्ता (वि०/याँ० सवंग) की रिक्तियों का विवरण :-

क्र० सं०	विवरण	कुल स्वीकृत पद	प्रतिशत	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
01	02	03	04	05	06	07
	कुल स्वीकृत पद	28				
01.	सीधी भर्ती के पद	11	39%			
	पदोन्नति के पद					
02.	डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/याँ०)/अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता		50%	14	12	02
03.	ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) से सहायक अभियन्ता		8.33%	02	01	01
04.	संगणक से सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)		2.67%	01	0	01
	कुल पद			17	13	04
	पदोन्नति के कुल रिक्त पद					04

मेति  
पर  
वृत्त  
पके

मिक  
तथा

सूचित  
ियों में  
ाने के

32 में  
सहायक  
संस्तुति

चयन वर्ष 2012-2013 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) पद हेतु कुल पदोन्नत रिक्तियों का विवरण :-

क्र० सं०	विवरण	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
01	02	04	05	06
1	डिप्लोमा प्राप्त अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) से सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)	14	12	02
2	30.06.2013 तक सहा०अभि० (वि०/याँ०) के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पद (डिप्लोमा प्राप्त)।	0	0	0
3	ऐसे अपर सहायक अभियन्ता जो अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) के पद पर पदोन्नत होने के उपरान्त दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त हो जायेंगे।	0	0	0
4	ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) से सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)	02	01	01
5	30.06.2013 तक ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पद।	0	0	0
6	संगणक से सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०)	01	0	01
7	30.06.2013 तक संगणक से सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पद।	0	0	0
8	ऐसे संगणक जो संगणक से सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) के पद पर पदोन्नत होने के उपरान्त दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त हो जायेंगे।	0	0	1
	कुल रिक्त पदों का योग			05

ता

50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत अपर सहायक अभियन्ता (वि०/यॉ०) से सहायक अभियन्ता (वि०/यॉ०) के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्तियाँ अनुसार अभ्यर्थियों का विवरण।

वर्तमान में 02 अपर सहायक अभियन्ता (वि०/यॉ०) ही कार्यरत हैं, जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है। वर्ष-2005 एवं 2007 में नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (वि०/यॉ०) की पदोन्नति पात्रता की श्रेणी में नहीं है।

क्रम सं०	कनिष्ठ अभि० (वि०/यॉ०) का नाम	पिता का नाम	कनिष्ठ अभि० के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	अपर सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति आदेश की तिथि
01	02	03	04	05
01	श्री विनय कुमार सक्सेना	श्री कृष्णा रवरूप सक्सेना	20-11-1996	01-09-2011
02	श्री रामकुमार शर्मा	श्री एस०एन० शर्मा	21-11-1996	23-12-2011

वर्तमान में संगणक (वि०/यॉ०) से सहायक अभियन्ता (वि०/यॉ०) के पद पर पदोन्नति हेतु उपलब्ध संगणकों का विवरण।

क्र० सं०	संगणक का नाम	पिता/पति का नाम	मानचित्रक के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि	संगणक के पद पर नियुक्ति की तिथि
01	02	03	04	05
01	श्री विजय कुमार शर्मा	श्री सी.एम. एल. शर्मा	20-01-1974	02-01-2004
02	श्री भीम सिंह बिष्ट	श्री दीलत सिंह बिष्ट	24-12-1977	26-02-2009
03	श्री जी.एस. नेगी	श्री गुलाब सिंह नेगी	21-02-1978	26-02-2009
04	श्री महेश चन्द्र गुरुरानी	श्री कौस्तुभ नन्द गुरुरानी	14-06-1978	04-06-2009
05	श्री देवेन्द्र कुमार	श्री रामप्रताप भगत	10-05-1979	01-01-2010

ए०एम०आई०ई०/बी०ई० 8.33 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत :-

ए०एम०आई०ई०/बी०ई० (8.33 प्रतिशत कोटा) उल्लिखित अपर सहायक अभियन्ता (वि०/यॉ०) से सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत 02 पदों के सापेक्ष 01 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत 01 सहायक अभियन्ता (वि०/यॉ०) के पद रिक्त है।

विभाग में ए०एम०आई०ई०/बी०ई० कोटे के अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित सेवा विनियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कोई कार्मिक पात्र न होने के कारण 01 पद को सेवा विनियमावली के भाग-3 भर्ती, भर्ती का स्रोत 5 के विनियम-02 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सामान्य, कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ताओं से पदोन्नति द्वारा भरे जाने को दृष्टिगत रखते हुए 01 पद को 50 प्रतिशत डिप्लोमा प्राप्त अपर सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु कुल 01 + 01 = 02 पदों की गणना की जानी है। वर्तमान में उक्त कोटे के अन्तर्गत कोई पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए डिप्लोमा इंजीनियर्स/ ए0एम0आई0ई0/संगणक वर्ग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता के पद पर मात्र वर्ष 2012-13 हेतु पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों में इंगित लोक सेवा आयोग के माध्यम से वांछित परामर्श एवं अर्हता परीक्षा में छूट प्रदान किया जाना समीचीन होगा, ताकि पदोन्नति हेतु डी0पी0सी0 की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया वांछित अनुमोदन प्रदान करना चाहेंगे।

26/9/12

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

26/9/12

टिप्पणी/आदेश क्र सं 2 एवं 3 तथा क्र सं 4 पर  
अंकित आपके कोषण दि 1.9.2012 एवं दि 19.9.2012 के  
अनुपालन में तैयार करके गये प्रस्ताव क्र सं 3, 4, 5 के 10 पर  
11 पर वर्णित है का संदर्भ लेनेका कठोर को। इस सम्बन्ध में  
पत्रित होगा कि विचिद परिस्थितियों में वर्ष 2012-13 के  
अपन वर्ष (01 अक्टूबर 2012 से 30 सून 2013) हेतु अर्हता परीक्षा  
में पदोन्नति में छूट प्रदान करने हेतु अनुमति पर  
विचार लेंगे। यदि क्र सं 6, 7, 8 एवं 10 पर वर्णित  
कार्यकां को अर्हता परीक्षा से पदोन्नति में छूट  
प्रदान करने पर अनुमति की कार्यवाही कर दी जाती है तब  
उपरोक्त में वे कार्मिक जो अगले अपन वर्ष (2012-13) में  
पदोन्नति हेतु DPC (विभागीय डी-ग्रेड सार्विक) में अर्जित  
महीने पाते हैं, अगले अपन वर्ष (जुन 2012-13 के बाद के  
वर्षों में) में भी अर्हता परीक्षा में छूट हेतु दावेदार  
हो जायेंगे, जो विभागीय हित में उचित ही होगा। कार्मिकों  
के अर्हता परीक्षा से छूट प्रदान करने के अनुमति के  
प्रस्ताव ही पाठ कार्मिकों की पदोन्नति हेतु DPC कार्यावाही  
उचित होगी।

अतः सूचनाएं एवं आदेशक कार्यावाही हेतु उचित।

28/9/2012  
CE (R/S)

पुनः-निर्देशक

अर्हता परीक्षा से छूट, कार्मिकों में अयोग्य को ले प्रदान की  
जा सकती है, किन्तु वर्ष में नगणित किये जाने वाले  
unidentified कार्मिकों या वेनल में विचारार्थ लिये गये सभी  
कार्मिकों को अर्हता परीक्षा से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत  
किया जाये, जिस पर निर्णय परान्त ही पदोन्नति आदेश जारी  
किये जायेंगे।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

28/9/12

12

- 12 -  
(टिप्पणी एवं आदेश)

प्रबन्ध विभाग को ली टिप्पणी दि 4.10.12  
के अन्तर्गत श्री जे. लालबाबू द्वारा

यस  
4/10/12

मं ७० (सूचना सह)

क्रमांक (का.) /

१० के ए. ए. (१०)

3/5/12

क. ३५१ (सूचना-१) की प्रतिलिपि के अन्तर्गत  
दिनांक 22/10/12 को क्र. (सि/का.) के ५५ पर  
परीक्षण के लिये भेजा गया है। केंद्र के अन्तर्गत  
केंद्र के अन्तर्गत ही प्रमाणित कर दिया जायगा  
सर्वव्यापी - ए (सूचना-१) के अन्तर्गत है।  
म. ७ (सूचना-१) / म. ७ (सूचना-१)

प. ०. 13/10

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) एवं अध्यक्ष चयन समिति की अध्यक्षता में सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 22/10/2012 को आहूत गठित चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त सहायक अभियन्ता (सिविल) (पताका-1) एवं सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) (पताका-2) आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

**सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु :-**

(एक) डिप्लोमा प्राप्त 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत 96 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 64 कार्मिक कार्यरत हैं तथा 32 पद रिक्त हैं। उक्त कोटे के सामान्य संवर्ग में 16 पद तथा अनुसूचित जाति के 12 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 04 पद रिक्त हैं।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति के 12 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 04 पदों को जोड़ते हुए कुल 16 पदों को सामान्य संवर्ग की शक्तियों में जोड़ते हुए (16 + 12 + 4 = 32) कुल 32 रिक्त पदों पर पदोन्नतियाँ किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

1. डिप्लोमा प्राप्त 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पात्रता सूची क्रमांक-01 से 32 में उल्लेखित वरिष्ठता क्रम में निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई :-

क्र०सं०	अपर सहा०अभि० का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	दिनेश चन्द्र मित्तल	श्री एस०एस० मित्तल
02	राजेश चन्द्र मित्तल	श्री जय प्रकाश मित्तल
03	राजेन्द्र पाल	श्री खेम चन्द्र गुप्ता
04	मुंशी यादव	श्री रामनरेश यादव
05	मुन्नुलाल गुप्ता	श्री काशीराम गुप्ता
06	सुमान अली	श्री करम कर्मुल्लाह
07	क्यू.एम. जैदी	श्री अतर हसन जैदी
08	सुरील कुमार शर्मा	श्री प्रेम दत्त शर्मा
09	मनमोहन सिंह सरपाल	श्री मेगा मल सरपाल
10	महेश चन्द्र दुर्गपाल	श्री एस०बी० दुर्गपाल
11	उमराव सिंह घुघत्याल	श्री देव सिंह घुघत्याल
12	बसन्त कुमार तिवारी	श्री जीवनानन्द तिवारी
13	चावस नाथ राय	श्री एस०एन० राय
14	हरीश चन्द्र पाठक	श्री रामसुभग पाठक
15	मोहनचन्द्र उप्रेती	श्री देवी दत्त उप्रेती
16	राजेन्द्र सिंह	श्री लाखन सिंह
17	नर सिंह तिवारी	श्री पारस नाथ तिवारी
18	प्रेम सिंह रावत	श्री गुमान सिंह रावत
19	सुरेश कुमार	श्री हरकिरण सिंह
20	हरिशंकर मिश्रा	श्री आर०ए० मिश्रा
21	सुधीर कुमार	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
22	सूर्यभान विश्वकर्मा	श्री फूलचन्द्र विश्वकर्मा
23	निर्मल कुमार दूबे	श्री मुन्ना लाल दूबे
24	नरेश कुमार चौहान	श्री इन्द्र सिंह चौहान
25	शैलेश चन्द रमोला	श्री भीष्मचन्द रमोला
26	कमलेश कुमार भट्ट	श्री तारा दत्त भट्ट
27	मदन पुरी	श्री विशान पुरी
28	रामजीराम वर्मा	श्री पंचदेव राम
29	केशवदत्त भट्ट	श्री सदा नन्द भट्ट
30	अरविन्द कुमार चतुर्वेदी	श्री हरगोविन्द चतुर्वेदी
31	सतीश कुमार शर्मा	श्री एस०एन० शर्मा
32	प्रदीप कुमार अग्रवाल	श्री ब्रह्मा नन्द गर्ग

*[Handwritten signature]*

(दो) 8.33 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत ए0एम0आई0ई0/बी0ई0 उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के वर्तमान में 16 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 05 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं तथा शेष 11 रिक्त पदों में 07 पद सामान्य एवं 04 पद अनुसूचित जाति के पद रिक्त हैं।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति के 04 पदों को जोड़ते हुए कुल 07 पदों को सामान्य संवर्ग की रिक्तियों में जोड़ते हुए (07 + 04 = 11) कुल 11 रिक्त पदों पद पदोन्नतियों किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया, किन्तु वर्तमान में विभाग में सेवा विनियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भर्ती का स्रोत-5 के विनियम-02 के अनुरूप पात्र कार्मिकों का निर्धारण न हो पाने के कारण वर्तमान में रिक्त 11 पदों को ए0एम0आई0ई0/बी0ई0 उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) कोटे के अन्तर्गत पदों को रिक्त रखने का निर्णय लिये जाने की संस्तुति की गयी।

(तीन) 2.67 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत संगणक से सहायक अभियन्ता के पद पर वर्तमान में 05 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 04 पद सामान्य संवर्ग तथा 01 पद अनुसूचित जाति का है। उक्त कोटे के विरुद्ध वर्तमान में सामान्य संवर्ग के 02 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं। इस प्रकार सामान्य संवर्ग के 02 रिक्त पदों एवं अनुसूचित जाति का 01 रिक्त पद को सम्मिलित करते हुए कुल 03 पदों पर निम्नानुसार कार्मिकों की पदोन्नति हेतु निर्णय लिया गया।

1. 2.67 कोटे के अन्तर्गत पात्रता सूची क्रमांक-01 से 03 में उल्लेखित वरिष्ठता क्रम में निम्नलिखित संगणक (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई :-

क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	हर्षमणि पन्त	स्व० श्री श्याम लाल पन्त
02	चन्दन सिंह बिष्ट	स्व० श्री नारायण सिंह बिष्ट
03	शेखर चन्द्र तिवारी	श्री गोपाल दत्त तिवारी

(चार) 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2013 तक 05 सेवानिवृत्त होने वाले सहायक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों अथवा उपलब्ध रिक्त पद के विरुद्ध पात्रता सूची के वरिष्ठतानुसार निम्नानुसार पात्र अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया एवं चयन हेतु संस्तुति की गयी :-

क्र० सं०	अपर सहा०अभि० का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	उषेन्द्र कुमार	श्री लाल सिंह
02	कान्ताप्रसाद सती	श्री धर्मानन्द सती
03	गिरिजामूषण जोशी	श्री हरिनन्दन जोशी
04	राधा कृष्ण सिंह	श्री असरफी लाल
05	अरुण कुमार त्यागी	श्री कृष्ण कुमार त्यागी

चयन समिति द्वारा पात्रता सूची के क्रमांक-3 एवं क्रमांक-07 पर क्रमशः श्री राजेन्द्र पाल एवं श्री व्ही०एम० जेदी, अपर सहायक अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता में पदोन्नति हेतु जो चयन किया गया है, चयनोंपरान्त पदोन्नति आदेश निर्गत होने के उपरान्त उक्त दोनों कार्मिक क्रमशः दिनांक 30.11.2012 एवं 28.02.2013 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे, जिस कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के 02 पद रिक्त हो जायेंगे। इन 02 रिक्त पदों के विरुद्ध पात्रता सूची के वरिष्ठता क्रम में निम्नानुसार कार्मिकों को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए चयनित किये जाने की संस्तुति की गयी।

*[Handwritten signature]*

क्र० सं०	अपर सहायक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	मुकेश चन्द्र जोशी	श्री केशव दत्त जोशी
02	ठाकुर दत्त गुसाई	श्री धर्मचन्द्र गुसाई

(पाँच) 2.67 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2013 तक कोई संगणक (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवानिवृत्त नहीं होगा, किन्तु चयन समिति द्वारा पात्रता सूची के क्रमांक-03 पर अंकित श्री शेखर चन्द्र तिवारी, संगणक को सहायक अभियन्ता के पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है। चयनोपरान्त पदोन्नति आदेश निर्गत होने के उपरान्त उक्त कार्मिक दिनांक 30.03.2013 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे, जिस कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) का 01 पद रिक्त हो जायेगा। इस 01 रिक्त पद के विरुद्ध पात्रता सूची के वरिष्ठता क्रम में निम्नानुसार कार्मिक का पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए चयनित किये जाने की संस्तुति की गयी।

क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	राजेन्द्र सिंह राणा	स्व० श्री रघुनाथ सिंह राणा

(छः) उक्त के अतिरिक्त 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत कुल 32 रिक्त पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत पैनल के अन्तर्गत वरिष्ठता क्रम में निम्नानुसार अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया एवं चयन हेतु संस्तुति की गयी :-

क्र० सं०	अपर सहायक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	राम अवतार सिंह	श्री राम कुमार सिंह
02	दिनेश चन्द्र चन्दोला	श्री जे०डी० चन्दोला
03	कृष्ण मोहन सिंह	श्री भगवान सिंह
04	सत्य पाल सिंह देवरा	श्री धीरज सिंह
05	दान सिंह रावत	श्री लक्ष्मण सिंह रावत
06	तोता राम जगूडी	श्री सरजूराम जगूडी
07	रविशंकर गुप्ता	श्री ब्रह्मानन्द गर्ग
08	हेमचन्द्र जोशी	श्री हीराबल्लभ जोशी

श्री शिवराज पुत्र श्री धर्मराज अपर सहायक अभियन्ता का वर्ष 2011-12 का गोपनीय प्रतिवेदन चयन समिति की बैठक की तिथि तक अप्राप्त होने के कारण चयन समिति द्वारा उनके चयन पर विचार न करने का निर्णय लिया गया।

(सात) उक्त के अतिरिक्त 2.67 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत कुल 03 रिक्त पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत पैनल के अन्तर्गत वरिष्ठता क्रम में निम्नानुसार संगणक (सिविल) को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया एवं चयन हेतु संस्तुति की गयी :-

क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	श्री लक्ष्मी प्रसाद रतूडी	श्री ज्ञानानन्द रतूडी

चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त चयनित समस्त कार्मिकों को अर्हता परीक्षा में शिथिलीकरण किये जाने के उपरान्त ही उक्त कार्मिकों का चयन मान्य होगा। उक्त चयन वर्ष 2012-2013 (दिनांक 01.07.2012 से 30.06.2013) तक मान्य होगा।

*[Handwritten Signature]*

**सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर पदोन्नति हेतु :-**

- (एक) डिप्लोमा प्राप्त 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत 14 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 12 कार्मिक कार्यरत हैं तथा 02 पद रिक्त हैं। उक्त कोटे के सामान्य संवर्ग में 11 पद के विरुद्ध 12 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण एक पद अतिरिक्त कार्यरत है तथा अनुसूचित जाति के 03 पद के विरुद्ध कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है, जिस कारण 03 पद रिक्त हैं तथा अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं बनता है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए 3 आरक्षित पदों में से 01 सामान्य पद को घटाते हुए कुल 02 रिक्त पदों पर पदोन्नतियों किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

1. डिप्लोमा प्राप्त 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पात्रता सूची क्रमांक-01 एवं 02 में उल्लेखित वरिष्ठता क्रम में निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) से सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई :-

क्र० सं०	अपर सहायक अभियन्ता का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	श्री विनय कुमार सक्सेना	श्री कृष्णा स्वरूप सक्सेना
02	श्री रामकुमार शर्मा	श्री एस०एन० शर्मा

- (दो) 8.33 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) से सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के वर्तमान में 02 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 01 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं तथा अनुसूचित जाति का 01 पद रिक्त है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति के 01 पद को सामान्य संवर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति किये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु वर्तमान में विभाग में सेवा विनियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भर्ती का स्रोत-5 के विनियम-02 के अनुरूप पात्र कार्मिकों का निर्धारण न हो पाने के कारण वर्तमान में रिक्त 01 पद को ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) से सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) कोटे के अन्तर्गत पद को रिक्त रखने का निर्णय लिये जाने की संस्तुति की गयी।

- (तीन) 2.67 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत संगणक से सहायक अभियन्ता के पद पर वर्तमान में 01 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है, जिस कारण 01 पद रिक्त है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य संवर्ग के 01 रिक्त पद पर निम्नानुसार कार्मिक की पदोन्नति हेतु निर्णय लिया गया।

1. 2.67 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पात्रता सूची क्रमांक-01 में उल्लेखित वरिष्ठता क्रम में निम्नलिखित संगणक (वि०याँ०) को सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई :-

क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	श्री विजय कुमार शर्मा	श्री सी०एम०एल० शर्मा

- (चार) 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2013 तक कोई कार्मिक सेवानिवृत्त न होने के कारण किसी भी कार्मिक का चयन नहीं किया गया।

चयन समिति द्वारा पात्रता सूची के क्रमांक-1 पर अंकित श्री विजय कुमार शर्मा, संगणक की सहायक अभियन्ता में पदोन्नति हेतु चयन किया गया है। चयनोंपरान्त पदोन्नति आदेश निर्गत होने के उपरान्त श्री विजय कुमार शर्मा, संगणक दिनांक 30.11.2012 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे, जिस कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) का 01 पद रिक्त हो जायेगा, जिसके विरुद्ध श्री जी०एस० नेगी, संगणक का चयन किया गया किन्तु श्री जी०एस०नेगी के दिनांक 31/05/2012 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त रिक्त पद के विरुद्ध पात्रता सूची के





वरिष्ठता क्रम में निम्नानुसार कार्मिकों को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए चयनित किये जाने की संस्तुति की गयी।

क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	श्री जी०एस० नेगी	श्री गुलाब सिंह नेगी
02	श्री भगवान लाल वर्मा	श्री बच्चू लाल वर्मा

टिप्पणी

श्री जी०एस० नेगी 1.12.2012 में पदोन्नति हेतु संस्तुति दी गयी थी।  
श्री भगवान लाल वर्मा 1.6.2013 में पदोन्नति हेतु संस्तुति दी गयी थी।

चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त चयनित समस्त कार्मिकों को अर्हता परीक्षा में शिथिलीकरण एवं वांछित सेवा अवधि में छूट प्रदान करने के उपरान्त ही उक्त कार्मिकों का चयन मान्य होगा। उक्त चयन वर्ष 2012-2013 (दिनांक 01.07.2012 से 30.06.2013) तक मान्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार चयन समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर डिप्लोमा इंजीनियर्स/संगणक वर्ग के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्मिकों को सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों में इंगित लोक सेवा आयोग के माध्यम से वांछित परामर्श एवं अर्हता परीक्षा में शिथिलता एवं वांछित संगणकों के सेवा अवधि में छूट प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान करना चाहेंगे

(A) अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु :-

क्र० सं०	अपर सहायक अभि० का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	दिनेश चन्द्र मित्तल	श्री एस०एस० मित्तल
02	राजेश चन्द्र मित्तल	श्री जय प्रकाश मित्तल
03	राजेन्द्र पाल	श्री खेम चन्द्र गुप्ता
04	मुंशी यादव	श्री रामनरेश यादव
05	मुन्नुलाल गुप्ता	श्री काशीराम गुप्ता
06	सुभान अली	श्री करम कर्मुल्लाह
07	क्यू.एम. जैदी	श्री अतर हसन जैदी
08	सुशील कुमार शर्मा	श्री प्रेम दत्त शर्मा
09	मनमोहन सिंह सरपाल	श्री मेगा मल सरपाल
10	महेश चन्द्र दुर्गपाल	श्री एस०वी० दुर्गपाल
11	उमराव सिंह घुघत्याल	श्री देव सिंह घुघत्याल
12	बसन्त कुमार तिवारी	श्री जीवानन्द तिवारी
13	चावस नाथ राय	श्री एस०एन० राय
14	हरीश चन्द्र पाठक	श्री रामसुभग पाठक
15	मोहनचन्द्र उप्रेती	श्री देवी दत्त उप्रेती
16	राजेन्द्र सिंह	श्री लाखन सिंह
17	नर सिंह तिवारी	श्री पारस नाथ तिवारी
18	प्रेम सिंह रावत	श्री गुमान सिंह रावत
19	सुरेश कुमार	श्री हरकिरण सिंह
20	हरिशंकर मिश्रा	श्री आर०ए० मिश्रा
21	सुधीर कुमार	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
22	सूर्यभान विश्वकर्मा	श्री फूलचन्द्र विश्वकर्मा
23	निर्मल कुमार दूबे	श्री मुन्ना लाल दूबे
24	नरेश कुमार चौहान	श्री इन्द्र सिंह चौहान
25	शैलेश चन्द्र रमोला	श्री भीष्मचन्द्र रमोला
26	कमलेश कुमार भट्ट	श्री तारा दत्त भट्ट
27	मदन पुरी	श्री विशन पुरी
28	रामजीराम वर्मा	श्री पंचदेव राम
29	केशवदत्त भट्ट	श्री सदा नन्द भट्ट

जे.ए.ए.

30	अरविन्द कुमार चतुर्वेदी	श्री हरगोविन्द चतुर्वेदी
31	सतीश कुमार शर्मा	श्री एस0एन0 शर्मा
32	प्रदीप कुमार अग्रवाल	श्री ब्रह्मा नन्द गर्ग
33	उषेन्द्र कुमार	श्री लाल सिंह
34	कान्ताप्रसाद सती	श्री धर्मानन्द सती
35	गिरिजामूषण जोशी	श्री हरिनन्दन जोशी
36	राधा कृष्ण सिंह	श्री असरफी लाल
37	अरूण कुमार त्यागी	श्री कृष्ण कुमार त्यागी
38	मुकेश चन्द्र जोशी	श्री केशव दत्त जोशी
39	ठाकुर दत्त गुंसाई	श्री धर्मचन्द्र गुंसाई
40	राम अवतार सिंह	श्री राम कुमार सिंह
41	दिनेश चन्द्र चन्दोला	श्री जे0डी0 चन्दोला
42	कृष्ण मोहन सिंह	श्री भगवान सिंह
43	सत्य पाल सिंह देवरा	श्री धीरज सिंह
44	दान सिंह रावत	श्री लक्ष्मण सिंह रावत
45	तोता राम जगूडी	श्री सरजूराम जगूडी
46	रविशंकर गुप्ता	श्री ब्रह्मानन्द गर्ग
47	हेमचन्द जोशी	श्री हीराबल्लभ जोशी

(B) संगणक (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु :-

क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	हर्षमणि पन्त	स्व० श्री श्याम लाल पन्त
02	चन्दन सिंह विष्ट	स्व० श्री नारायण सिंह विष्ट
03	शेखर चन्द्र तिवारी	श्री गोपाल दत्त तिवारी
04	राजेन्द्र सिंह राणा	स्व० श्री रघुनाथ सिंह राणा
05	श्री लक्ष्मी प्रसाद रतूडी	श्री ज्ञानानन्द रतूडी

(C) अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) से सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर पदोन्नति हेतु :-

क्र० सं०	अपर सहायक अभि० का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	श्री विनय कुमार सक्सेना	श्री कृष्णा स्वरूप सक्सेना
02	श्री रामकुमार शर्मा	श्री एस०एन० शर्मा

(D) संगणक (वि०याँ०) से सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर पदोन्नति हेतु :-

क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	श्री विजय कुमार शर्मा	श्री सी०एम०एल० शर्मा
02	श्री जी०एस० नेगी	श्री गुलाब सिंह नेगी
03	श्री भगवान लाल वर्मा	श्री बच्चू लाल वर्मा

“उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011” के भाग-तीन, भर्ती का स्रोत-5, विनियम-3 के अन्तर्गत 2.67 प्रतिशत पद, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संगणकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है।

शासनादेश संख्या 1674/XXX(2)/2010, कार्मिक अनुभाग-2, दिनांक 23.11.2010 (पताका-3) में निहित प्राविधानों के अनुसार यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि


2020


विहित हो और मात्रता के क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो सरकार के प्रशासनिक विभाग, सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से यथास्थिति उक्त निम्नतर पद या पदों पर यथा निर्धारित परिदोक्षा अवधि को छोड़कर, ऐसी विहित न्यूनतम सेवा अवधि में पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलीकरण कर सकते हैं, का प्राविधान है।

उपरोक्त संगणकों (वि०यॉ०) में से क्रमांक-02 पर अंकित श्री जी०एस० नेगी एवं क्रमांक-03 पर अंकित श्री भगवान लाल वर्मा की संगणक के पद नियुक्ति की तिथि दिनांक 26.02.2009 है, जो कि वांछित सेवा अवधि 05 वर्ष में से डी०पी०सी० की बैठक दिनांक 22.10.2010 के समय कुल 03 वर्ष 08 माह है, जबकि कुल 01 वर्ष 04 माह की अवधि कम है।

अतः उपरोक्त शासनादेशों के अन्तर्गत श्री जी०एस० नेगी, संगणक ने अपना प्रत्यावेदन जो इस कार्यालय में दिनांक 09.10.2012 (पताका-4) तथा श्री भगवान लाल वर्मा, संगणक का प्रार्थना पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 12.10.2012 (पताका-5) को प्राप्त हुआ है। उक्त कार्मिकों द्वारा पदोन्नति हेतु वांछित छूट प्रदान करने हेतु सेवा अवधि में पहली बार प्रत्यावेदन दिया गया है। अतः उनके द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन एवं चयन समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में श्री जी०एस० नेगी एवं श्री भगवान लाल वर्मा, संगणकों को पदोन्नति हेतु सेवा अवधि पूर्ण करने के लिए 01 वर्ष 04 माह की छूट सेवा में प्रथम बार प्रदान करने का भी अनुमोदन प्रदान करना चाहेंगे।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया बिन्दु (A) (B) (C) एवं (D) में उल्लेखित चयन समिति द्वारा चयनित कार्मिकों को वांछित अनुमोदन प्रदान करना चाहेंगे, ताकि पदोन्नति सम्बन्धी आदेश जारी किये जा सके। अनुमोदन की दशा में पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती कार्यालय सम्बन्धी विवरण पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया उक्त का अनुमोदन भी करना चाहेंगे।

  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/पुल-एन ई देसाई

  
महाप्रबन्धक (मूजल/सर्वेक्षण)  
P.O.

निम्नानुसार अनुमोदन आन किया जाता है -

- (1). शासनादेश सं० IC74/XXX(2)/2012 का 'कार्मिक अनुमोदन-2' अन्तर्गत शासनादेश सं० 28 के अन्तर्गत 'के आदेशों' के अनुसार संगणकों श्री जी० एस० नेगी एवं श्री भगवान लाल वर्मा को वांछित सेवा अवधि 05 वर्ष में, प्रत्येक को 01 वर्ष 04 माह की छूट, पदोन्नति हेतु प्रदान की जाती है।
- (2). चयन समिति द्वारा उपरोक्त समस्त पात्र अर्पर सहायक अभियन्ताओं एवं संगणकों में से चयनित एवं ~~चयन~~ चयन वर्ष 2012-13 में पदोन्नत किये जाने वाले अर्पर सहायक अभियन्ताओं एवं संगणकों को अन्तर्गत 'पेपवत संस्थापन निगम एवं निगम निगम अभियन्ता सेवा नियमवली 2011' के नियम 11(3) में निर्धारित अर्हता परीक्षा से छूट उक्त सेवा नियमवली के नियम 28 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।
- (3). संगणकों से सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित 2.67% कोटा (उक्त नियमवली के नियम 5(3) के तैरुह रिक्त पदों की गणना से भी निर्धारण) को प्राप्त किया गया है, जो उक्त सेवा नियम लखनऊ के कांजा सं० 1785/उ-1/अल निगम अनुपालन/35/124/97, 31-07-77, उत्तरांचल पेपवत निगम वृत्तीयकोड बैठक सं० 10-01-2005 द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सं० 2, उक्त निदेशक उत्तरांचल पेपवत निगम के कांजा सं० 1506/बोर्ड बैठक, दि० 21-04-06 के अनुसार की जानी चाहिये भी एवं तदनुसार ही चयन समिति के समक्ष रिक्तियों का निरूपण प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। इसके फलस्वरूप इस कोटे की रिक्तियों का निर्धारण कम हुआ है। अतः इस कोटे के शेष पदोन्नतियों हेतु निर्धारित शर्तों की जाती है -

अर्पर सहायक अभियन्ताओं के 50% पदोन्नति कोटे से पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं को सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों अर्थात् को-रेट/एचएफ आई-रेट कोटे (2.33%) के तैरुह लगे वाले पदोन्नतियों से रिक्त रह जाने वाले पदों, जो भी पहले उत्पन्न हो, के तैरुह 2.67% संगणक कोटे के ~~निर्धारण~~ उक्त प्रासंगिक आदेशों के तहत अर्थात् रिक्तियों को भरना, जिन पर चयन समिति द्वारा चयनित भी एन्ट्रेड रिक्तियों

20

एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद राव की संगणकों को पदोन्नती की जायेगी। इस कोटे के गभाव्यक अन्य मात्र भाक्तियों, जिनको दि. 30-06-2012 तक की रिक्तियों के निरूह पदोन्नत किया जाया सम्भावित हो, का चयन क्र. 2/ए.ए.ए.आई. ई. कोटे (8.33%) के निरूह पदोन्नतियों हेतु आयोगित चयन समिति में कर लिया जाये।"

(4). इस पत्रावली के दिवाली एवं आदेश पृष्ठ 3 पर दि. 02/11/12 के विन्दु 1 में दिये गये विवरण के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को अनुसूचित एवं अनुसूचित जाति के उपायन में उनका कोई परामर्श, उरगत पदोन्नतियों हेतु, प्राप्त न होने की निरीक्ष्य परिस्थितियों में उक्त आदेशान से भी दूट, सेवा नियमावली के नियम 28 के आदेशानों के तहत प्रदान की जाती है।

(5). पदोन्नत भाक्तियों को प्रस्तावित तैनाती का भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

02/11/12  
ज.सि.

~~महाप्रबन्धक (सि.से.)~~  
~~ए.ए.आई.ई. का आ.आ.ई.ई.~~  
02/11/12  
CR(M)

Sen  
3/11/12

## “टिप्पणी एवं आदेश”

कृपया पत्रावली के पृष्ठ संख्या-19 एवं 20 के अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों के द्वारा दिनांक 22.10.2012 को आहूत चयन समिति की बैठक में चयनित पात्र अभ्यर्थियों के अपर सहायक अभियन्ता (सिविल/वि०याँ०) से सहायक अभियन्ता (सिविल/वि०याँ०) एवं संगणक (सिविल/वि०याँ०) से सहायक अभियन्ता (सिविल/वि०याँ०) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये हैं।

132/मु०अ०(मु०)-अधि० सामान्य-सहा०अभियन्ता (सिविल)/12, दिनांक	02.11.2012
133/मु०अ०(मु०)-अधि० सामान्य-सहा०अभियन्ता (सिविल)/12, दिनांक	02.11.2012
134/मु०अ०(मु०)-अधि० सामान्य-सहा०अभियन्ता (सिविल)/12, दिनांक	02.11.2012
135/मु०अ०(मु०)-अधि० सामान्य-सहा०अभियन्ता (वि०याँ०)/12, दिनांक	02.11.2012
136/मु०अ०(मु०)-अधि० सामान्य-सहा०अभियन्ता (वि०याँ०)/12, दिनांक	02.11.2012

वर्तमान में 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पदोन्नत सहायक अभियन्ता (सिविल) के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिस कारण सहायक अभियन्ता (सिविल) के 05 पद रिक्त हो गये हैं :-

1. श्री सी०बी० जैन, सहायक अभियन्ता	सेवानिवृत्त - दिनांक 31.10.2012
2. श्री पदम सिंह बोरा, सहायक अभियन्ता	सेवानिवृत्त - दिनांक 30.11.2012
3. श्री ललित प्रसाद उप्रेती, सहायक अभियन्ता	सेवानिवृत्त - दिनांक 30.11.2012
4. श्री राजेन्द्र पाल गुप्ता, सहायक अभियन्ता	सेवानिवृत्त - दिनांक 30.11.2012
5. श्री ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, सहा०अभि०	सेवानिवृत्त - दिनांक 30.11.2012

2.67 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पदोन्नत संगणक (वि०याँ०) से सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर पदोन्नत श्री विजय कुमार शर्मा, दिनांक 30.11.2012 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, जिस कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) का 01 पद रिक्त हो गया है।

इस प्रकार 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के 05 पदों एवं 2.67 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के 01 पद कुल 06 पदों पर दिनांक 22.10.2012 को आहूत चयन समिति की बैठक में चयनित पात्र अभ्यर्थियों में से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की जानी है।

पत्रावली के पृष्ठ संख्या-19 के बिन्दु सं०-03 में प्राप्त अनुमोदन के अनुक्रम में संगणक (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार चयनित संगणकों को 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पदोन्नत सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता (सिविल) क्रमशः श्री सी०बी० जैन एवं श्री पदम सिंह बोरा, सहायक अभियन्ता के रिक्त पद के सापेक्ष निम्नलिखित संगणक (सिविल) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर की जानी है।

1. श्री राजेन्द्र सिंह राणा, पुत्र श्री रघुनाथ सिंह राणा
2. श्री लक्ष्मी प्रसाद रतूड़ी, पुत्र श्री ज्ञानानन्द रतूड़ी

इसी प्रकार 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पदोन्नत अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता (सिविल) क्रमशः श्री ललित प्रसाद उप्रेती, श्री राजेन्द्र पाल गुप्ता एवं श्री ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, सहा०अभि० के रिक्त पदों के सापेक्ष निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर की जानी है :-

1. श्री उषेन्द्र कुमार, पुत्र श्री लाल सिंह
2. श्री कान्ता प्रसाद सती, पुत्र श्री धर्मानन्द सती
3. श्री गिरिजामूषण जोशी, पुत्र श्री हरिनन्दन जोशी

2.67 प्रतिशत कोटे में संगणक (वि०यौ०) से सहायक अभियन्ता (वि०यौ०) के पद पर पदोन्नत सहायक अभियन्ता, श्री विजय कुमार शर्मा के दिनांक 30.11.2012 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत दिनांक 22.10.2012 को डी०पी०सी० में चयनित श्री जी०एस० नेगी, संगणक (वि०यौ०) से सहायक अभियन्ता (वि०यौ०) के पद पर पदोन्नति की जानी है।

इस प्रकार सहायक अभियन्ता (सिविल) के 05 पदों पर एवं सहायक अभियन्ता (वि०यौ०) का 01 पद कुल 06 पदों पर निम्नानुसार कार्मिकों के पदोन्नति आदेश संलग्न (पताका-क) में उनकी पूर्व तैनाती के विवरण को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित तालिका में उचित रिक्त स्थानों पर निर्गत किये जाने समीचीन होंगे।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	संगणक (सिविल)	निर्माण इकाई (यौत्रिक), देहरादून	निर्माण मण्डल, देहरादून	स्थानीय
02	श्री लक्ष्मी प्रसाद रतुड़ी	संगणक (सिविल)	निर्माण इकाई, ऋषिकेश	निर्माण इकाई, ऋषिकेश	स्थानीय
03	श्री उषेन्द्र कुमार	अपर सहा०अभि० (सिविल)	नि० एवं अनु०ई० (गंगा), हरिद्वार	निर्माण शाखा, उत्तरकाशी	जनहित में
04	श्री कान्ता प्रसाद सती	अपर सहा०अभि० (सिविल)	नि०शा०, श्रीनगर	निर्माण शाखा, देवप्रयाग	जनहित में
05	श्री गिरिजामूषण जोशी	अपर सहा०अभि० (सिविल)	ए०डी०बी० यूनिट, नैनीताल	ए०डी०बी० यूनिट, नैनीताल	स्थानीय (प्रोफार्मा पदोन्नति)
06	श्री गौरेया सिंह नेगी	संगणक (वि०यौ०)	निर्माण इकाई, देहरादून	निर्माण इकाई (यौत्रिक), देहरादून	स्थानीय (दिनांक 31.05.2013 को सेवानिवृत्त होने के कारण)

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया उक्त का अनुमोदन प्रदान करना चाहेंगे।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रबन्ध निदेशक

०२० मंडल अभियन्ता प्रो.पु.न।  
27/12/12

प्रबन्ध निदेशक के

अनुमोदन

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

27/12/12  
PO 27/12

27/12/12

“टिप्पणी एवं आदेश”

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 22.10.2012 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त (पताका-A) आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उक्त कार्यवृत्त के सम्बन्ध में पत्रावली के पृष्ठ संख्या-19 एवं 20 में दिये गये अनुमोदन के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 148/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0अभियन्ता (सिविल)/12, दिनांक 22.12.2012 (पताका-B) के द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये थे।

उक्त कार्यालय ज्ञाप 148/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0अभियन्ता (सिविल)/12, दिनांक 22.12.2012 के क्रमांक-01 पर अंकित श्री उपेन्द्र कुमार, अपर सहायक अभियन्ता की पदोन्नति उपरान्त तैनाती निर्माण शाखा, उत्तरकाशी की गयी थी, उक्त कार्यालय ज्ञाप में सम्बन्धित कार्मिकों को पदोन्नत कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 31.12.2012 का समय दिया गया था, किन्तु श्री उपेन्द्र कुमार, अपर सहायक अभियन्ता द्वारा पदोन्नत कार्यालय में निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण न करते हुए अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.2012 (पताका-C) द्वारा स्वयं की शारारिक एवं घरेलू परिस्थितियों के कारण कार्यभार ग्रहण करने हेतु 06 माह की समयवृद्धि हेतु आवेदन किया गया था।

श्री उपेन्द्र कुमार, अपर सहायक अभियन्ता के उक्त प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए पदोन्नति आदेश में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2012 तक कार्यभार ग्रहण न करने को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय के पत्र संख्या 18/अधि0अनुभाग-अधि0कनि0अभि0/02, दिनांक 02.01.2013 (पताका-D) के द्वारा उनके अनुरोध अस्वीकार करते हुए पदोन्नति फारगो मान लिये जाने की सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

श्री उपेन्द्र कुमार, अपर सहायक अभियन्ता के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण सहायक अभियन्ता (सिविल) का 01 पद रिक्त हो गया है। उक्त रिक्त पद को दिनांक 22.10.2012 को आहूत चयन समिति की बैठक सम्बन्धी निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु सं0-04 के अन्तर्गत 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त होने वाले सहायक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों अथवा उपलब्ध रिक्त पद के विरुद्ध क्रमांक-04 पर अंकित अपर सहायक अभियन्ता, श्री राधा कृष्ण सिंह, पुत्र श्री असरफी लाल का पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए चयन हेतु संस्तुति की गयी है।

अतः श्री उपेन्द्र कुमार, अपर सहायक अभियन्ता के कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त पद पर श्री राधा कृष्ण सिंह, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की जानी होगी। निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), श्रीनगर का कार्य क्षेत्र वृहद होने एवं स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए कार्यहित में श्री राधा कृष्ण सिंह, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति उपरान्त तैनाती निम्ना नुसार की जानी समीचीन होगी। वर्तमान में निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), श्रीनगर में 02 सहायक अभियन्ता कार्यरत है तथा 01 पद रिक्त है।

क्र० सं०	अपर सहा0अभि० का नाम	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
	सिविल :-				
01	श्री राधा कृष्ण सिंह	श्री असरफी लाल	निर्माण शाखा, मुनिकीरेती	नि० एवं अनु० इकाई (गंगा), श्रीनगर	जनहित में

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया उक्त का अनुमोदन प्रदान करना चाहेंगे।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रबन्ध निदेशक

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

अनुमोदनार्थ प्रेषित  
15/01/13

8/1/2013

PO  
8/1/13

निदेशक

अनुमोदित

11/01/13

## “टिप्पणी एवं आदेश”

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 22.10.2012 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त (पताका-क) आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उक्त कार्यवृत्त के सम्बन्ध में पत्रावली के पृष्ठ संख्या-19 एवं 20 में दिये गये अनुमोदन के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 148/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0अभियन्ता (सिविल)/12, दिनांक 22.12.2012 के द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये थे।

उक्त कार्यालय ज्ञाप 148/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0अभियन्ता (सिविल)/12, दिनांक 22.12.2012 के क्रमांक-01 पर अंकित श्री उषेन्द्र कुमार, अपर सहायक अभियन्ता द्वारा पदोन्नति फारगो कर दिये जाने के कारण कार्यालय ज्ञाप संख्या 186/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0अभियन्ता (सिविल)/07, दिनांक 11.01.2013 (पताका-ख) के द्वारा डी0पी0सी0 में वरिष्ठता में चयनित श्री राधा कृष्ण सिंह, अपर सहायक अभियन्ता की पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर की जा चुकी है।

अवगत कराना है कि 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत डिप्लोमा प्राप्त सहायक अभियन्ता, श्री सुरेश चन्द्र राठौर के सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि 02.01.1953 के स्थान पर त्रुटिवश 02.09.1953 अंकित की गयी है, जबकि सेवा पुस्तिका के आधार पर इनकी जन्म तिथि वास्तविक रूप से दिनांक 02.01.1953 है, जिस कारण उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 31.01.2013 है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, अल्मोड़ा ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 1819/विधि-9/43, दिनांक 28.08.2012 के (पताका-ग) द्वारा सूचित करते हुए श्री सुरेश चन्द्र राठौर, सहायक अभियन्ता को 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31.01.2013 को सेवानिवृत्त हो जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। इस प्रकार श्री सुरेश चन्द्र राठौर, सहायक अभियन्ता के सेवानिवृत्त होने के कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) का 01 पद रिक्त हो गया है।

इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत डिप्लोमा प्राप्त सहायक अभियन्ता, श्री राजेश मोहन श्रीवास्तव दिनांक 31.01.2013 को अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिस कारण सहायक अभियन्ता (सिविल) का 01 पद रिक्त हो गया है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के 02 पद रिक्त हो गये हैं, इन दोनों रिक्त पदों को दिनांक 22.10.2012 को आहूत चयन समिति की बैठक में रिक्त पदों के सापेक्ष चयनित अपर सहायक (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की जानी है। दिनांक 22.10.2012 को आहूत चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु-04 के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2013 को सेवानिवृत्त होने वाले सहायक अभियन्ता के विरुद्ध वरिष्ठता क्रम में (क्रमांक-01, 02, 03 एवं 04 पर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही हो जाने के उपरान्त) क्रमांक-05 पर श्री अरुण कुमार त्यागी, अपर सहायक अभियन्ता का चयन किया गया है तथा वरिष्ठता क्रम में श्री मुकेश चन्द्र जोशी, अपर सहायक अभियन्ता का चयन भी रिक्त होने वाले पद के विरुद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त श्री व्यू0एन0 जैदी, सहायक अभियन्ता के दिनांक 28.02.2013 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे, जिस कारण सहायक अभियन्ता का 01 और पद रिक्त हो जायेगा। उक्त पद के रिक्त होने के कारण उसे दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त होने वाले रिक्त पदों में चयनित श्री ठाकुर दत्त गुंसाई, अपर सहायक अभियन्ता को चयनित किया गया है, से रिक्त पद की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार सहायक अभियन्ता के कुल 03 पद रिक्त हो जायेंगे।



अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत डिप्लोमा प्राप्त सहायक अभियन्ताओं के 03 रिक्त पदों के विरुद्ध निम्नानुसार वरिष्ठता क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की पदोन्नति उपरान्त इनकी तैनाती क्षेत्रों में सहायक अभियन्ता की कमी को दृष्टिगत रखते हुए कार्यहित में रि-डिप्लॉयमेन्ट के अनुसार 1:2:6 (इकाई) के आधार पर निम्नानुसार की जानी समीचीन होगी। वर्तमान में इन शाखाओं/इकाई में सहायक अभियन्ता (सिविल) का पद रिक्त है। श्री ठाकुर दत्त गुंसाई, अपर सहायक अभियन्ता के पदोन्नति आदेश श्री क्यू0एम0 जैदी, सहायक अभियन्ता के दिनांक 28.02.2013 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात रिक्त पद के विरुद्ध माह मार्च, 2013 में पदोन्नति आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

क्र० सं०	अपर सहा० अभि० का नाम	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
	सिविल :-				
01	श्री अरुण कुमार त्यागी	श्री कृष्ण कुमार त्यागी	निर्माण इकाई, उधमसिंहनगर	निर्माण इकाई, उधमसिंहनगर	स्थानीय
02	श्री मुकेश चन्द्र जोशी	श्री केशव दत्त जोशी	देहरादून शाखा, देहरादून	निर्माण शाखा, पुरोड़ी	जनहित
03	श्री ठाकुर दत्त गुंसाई	श्री धर्मचन्द्र गुंसाई	निर्माण इकाई, ऋषिकेश	निर्माण इकाई, देहरादून	जनहित

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया उक्त का अनुमोदन प्रदान करना चाहेंगे।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) / प्रबन्ध निदेशक

महाप्रबन्धक (मूल/सर्वेक्षण)

08 अ. उ. प्र. नि. प्र. प्रीति  
11/2/13

11/2/13

11/2/13

~~प्रबन्ध निदेशक~~

अ. उ. प्र. नि. प्र. के साथ अनुमोदित।

11/2/13  
क्रम सं० 1 एवं 2 के सम्बन्ध में पत्रिका क्र० 511/2/13 दिनांक 11/2/13 को संशोधित किया गया है।  
दिनांक 11/2/13 को संशोधित किया गया है।

श्री ठाकुर दत्त गुंसाई, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदोन्नति आदेश दिनांक 28/2/13 को सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की पदोन्नति उपरान्त इनकी तैनाती क्षेत्रों में सहायक अभियन्ता की कमी को दृष्टिगत रखते हुए कार्यहित में रि-डिप्लॉयमेन्ट के अनुसार 1:2:6 (इकाई) के आधार पर निम्नानुसार की जानी समीचीन होगी। वर्तमान में इन शाखाओं/इकाई में सहायक अभियन्ता (सिविल) का पद रिक्त है। श्री ठाकुर दत्त गुंसाई, अपर सहायक अभियन्ता के पदोन्नति आदेश श्री क्यू0एम0 जैदी, सहायक अभियन्ता के दिनांक 28.02.2013 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात रिक्त पद के विरुद्ध माह मार्च, 2013 में पदोन्नति आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) / प्रबन्ध निदेशक

20/2/13

10/2/13

श्री ठाकुर दत्त गुंसाई की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के उपरान्त श्री ठाकुर दत्त गुंसाई को तैनाती उपरान्त तालिका में वर्णित कार्यालय के वर्तमान पद निर्माण इकाई, ऋषिकेश में (इस इकाई में कमी की अतिरिक्त के दृष्टिगत) की जानी समीचीन होगी, शेष निर्माण इकाई, ऋषिकेश में तैनाती का अनुमोदन करना चाहे।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

अनुमोदित।

11/2/13

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला एजेण्डा नोट :-

उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231/नौ-2(12अधि0)/2001, दिनांक 07.11.2002 (संलग्नक-1) द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम-1975 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-86 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथावत् लागू है।

1. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि0)/2002 दिनांक 12.12.2006 (संलग्नक-2) द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/बोर्ड बैठक (सेवाविनियमावली)/11, दिनांक 16.01.2012 (संलग्नक-3) के द्वारा शासनादेश संख्या 1415/उन्तीस(1)/2011-(34अधि0)/07, दिनांक 23.12.2011 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति एवं उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवरेज व्यवस्था अधिनियम-1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002 की धारा-97 में निहित प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निदेशक मण्डल की 12वीं बोर्ड बैठक के प्रस्ताव संख्या 12.15 पर लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अभियन्ताओं पर लागू होने वाली उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता संवर्ग से सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों पर पदोन्नति कर नियुक्ति की जानी है।

2. वर्तमान में सहायक अभियन्ता (सिविल) के 191 स्वीकृत पदों के सापेक्ष डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता से पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत अर्थात् 96 सहायक अभियन्ता (सिविल), ए0एम0आई0ई0/बी0ई0 उत्तीर्ण पदोन्नति कोटे से 8.33 प्रतिशत अर्थात् 16 पद एवं संगणक से सहायक अभियन्ता पदोन्नति कोटे से 2.67 प्रतिशत अर्थात् 05 पद बनते हैं।

विभाग में सिविल संवर्ग के अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति हेतु सहायक अभियन्ताओं के विभिन्न कोटे के अन्तर्गत रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-



क्र०	विवरण	प्रतिशत	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	आरक्षण की स्थिति				
						कुल	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जन जाति	पि० जाति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	कुल स्वीकृत पद		191							
1	सीधी भर्ती के पद	39.00%	74							
	कार्यरत									
	सीधी भर्ती के रिक्त पद									
	पदोन्नति के पद									
2	डिप्लोमा प्राप्त सहायक अभियन्ता	50.00%	96			96	73	19	4	0
	कार्यरत			64		64	57	7	0	0
	रिक्त पद				32	32	16	12	4	0
3	ए०एम०आई०ई० / बी०ई० उत्तीर्ण सहायक अभियन्ता	8.33%	16			16	12	4	0	0
	कार्यरत			5		5	5	0	0	0
	रिक्त पद				11	11	7	4	0	0
4	संगणक से सहायक अभियन्ता	2.67%	5			5	4	1	0	0
	कार्यरत			2		0	2	0	0	0
	रिक्त पद				3	3	2	1	0	0
	योग पदोन्नति के पद				46	46	25	17	4	0

- डिप्लोमा प्राप्त अपर सहायक अभियन्ताओं (50 प्रतिशत कोटा) में कुल 96 पदों के सापेक्ष 64 पात्र कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण सहायक अभियन्ताओं के 32 पद रिक्त हैं।

उक्त 96 पदों के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग के 73 पदों के विरुद्ध 57 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण 16 पद तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 19 पदों के विरुद्ध 07 कार्यरत है, जिस कारण 12 पद रिक्त हैं एवं अनुसूचित जनजाति के 04 पदों के विरुद्ध कोई पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण 04 पद रिक्त हैं। इस प्रकार कुल  $16 + 12 + 4 = 32$  पद रिक्त हैं।

- ए०एम०आई०ई० / बी०ई० (8.33 प्रतिशत कोटा) उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत 16 पदों के सापेक्ष 05 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत 11 सहायक अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं।

उक्त 16 पदों के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग के 12 पदों के विरुद्ध 05 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण 07 पद तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 04 पदों के विरुद्ध कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है, जिस कारण 04 पद रिक्त हैं एवं अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं बनता है। इस प्रकार कुल  $7 + 4 + 0 = 11$  पद रिक्त हैं।

- संगणक से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति (2.67 प्रतिशत कोटा) के अन्तर्गत 05 पदों के विरुद्ध 02 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण 03 पद रिक्त हैं।

उक्त 05 पदों के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग के 04 पदों के विरुद्ध 02 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण 02 पद तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 01 पद के विरुद्ध कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है, जिस कारण 01 पद रिक्त हैं एवं अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं बनता है। इस प्रकार कुल  $2 + 1 + 0 = 3$  पद रिक्त हैं।

3. सेवा विनियामवली के भाग-पाँच : भर्ती की प्रक्रिया :-  
रिक्तियों की अवधारणा 14.

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा इनके लिए क्षैतिज आरक्षण अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा, का प्राविधान किया गया है, किन्तु राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 902/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनुभाग-2, दिनांक 05.09.2012 के द्वारा राज्याधीन लोक सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न संगठनात्मक ढाँचों में प्रोन्नति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरा जाने का प्राविधान किया गया है।

चयन वर्ष 2012-2013 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता पद हेतु कुल पदोन्नत रिक्तियों का विवरण :-

क्र० सं०	विवरण	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
01	02	04	05	06
	(क)			
1	डिप्लोमा प्राप्त अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल)	96	64	32
2	30.06.2013 तक सहा०अभि० (सिविल) के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पद (डिप्लोमा प्राप्त)।	0	0	5
3	ऐसे अपर सहायक अभियन्ता जो अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत होने के उपरान्त दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त हो जायेंगे।	0	0	2
	(ख)			
1	ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता	16	5	11
2	30.06.2013 तक ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण सहायक अभियन्ता (सिविल) के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पद।	0	0	0
	(ग)			
1	संगणक से सहायक अभियन्ता	5	2	3
2	30.06.2013 तक संगणक से सहायक अभियन्ता (सिविल) के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पद।	0	0	0
3	ऐसे संगणक जो संगणक से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत होने के उपरान्त दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त हो जायेंगे।	0	0	2
	कुल रिक्त पदों का योग			55

4. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :-चयन समिति:-

चयन निम्नानुसार अधिकारियों की गठित चयन समिति द्वारा किया जाना है :-

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून       | - अध्यक्ष |
| 2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून | - सदस्य   |
| 3. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून                    | - सदस्य   |
| 4. महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून    | - सदस्य   |
| 5. अधीक्षण अभियन्ता, यंत्रिक मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून | - सदस्य   |
| 6. अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून      | - संयोजक  |

5. चयन की प्रक्रिया :-

- (1) नियुक्त प्राधिकारी, चयन समिति के समक्ष पात्र अधिकारियों की पात्रता सूची प्रस्तुत करेंगे।
- (2) चयन समिति अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकायें, प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों और अन्य ऐसे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों के, जो उचित समझे जायें के आधार पर चयन करेगी।
- (3) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी जिसमें उनके नाम, जिन पदों से उनका चयन किया गया हो, उन पर उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी। उक्त सूची चयन वर्ष (एक जुलाई से अगले वर्ष 30 जून) तक मान्य रहेगी।
- (4) पदोन्नति द्वारा चयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य की उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्यधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" एवं "श्रेष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया नियमावली 2009 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

6. भर्ती का स्रोत :-

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/बोर्ड बैठक (सेवाविनियमावली)/11, दिनांक 16.01.2012 के द्वारा शासनादेश संख्या 1415/उन्तीस(1)/2011-(34अधि0)/07, दिनांक 23.12.2011 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति एवं उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवरेज व्यवस्था अधिनियम-1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002 की धारा-97 में निहित प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निदेशक मण्डल की 12वीं बोर्ड बैठक के प्रस्ताव संख्या 12.15 पर लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अभियन्ताओं पर लागू होने वाली उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता संवर्ग से सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों पर पदोन्नति कर नियुक्ति की जानी है।

उक्त विनियमावली के भाग-3 भर्ती-भर्ती का स्रोत 5.(1) विनियम 'क' सहायक अभियन्ता (सिविल/वि0याँ0) टिप्पणी में स्पष्ट है कि प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ व्यक्तियों को नियुक्ति से पूर्व किसी चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा नियुक्ति प्राधिकारी नहीं करेगा। शेष पद आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है।



1. उक्त टिप्पणी के परिपेक्ष्य में अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 443/अधि0अनु0- अधि0कनि0अभि0/23, दिनांक 20.03.2012 के द्वारा अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु विधि सम्मत आवश्यक परामर्श निगम को देने हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु आयोग से इस सम्बन्ध में कोई मार्ग दर्शन प्राप्त न होने के उपरान्त पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 678/अधि0अनु0- अधि0कनि0अभि0/35, दिनांक 27.04.2012 के द्वारा पुनः वांछित मार्ग दर्शन हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु लोक सेवा आयोग के माध्यम से आतिथि तक कोई मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है।
2. उक्त सन्दर्भित सेवा विनियमावली के तकनीकी अर्हता विनियम-11 के बिन्दु-03 में उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के किसी अपर सहायक अभियन्ता या संगणक को विनियम 5(1)(एक)(दो) के अधीन सहायक अभियन्ता (सिविल या वि0/याँ0) के पद पर तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा, जब तक की वह तथास्थाति ऐसी अर्हता परीक्षा जिसे निगम विहित करें, उत्तीर्ण न कर लें, या विनियम 5(1) व 5(2) में निहित तकनीकी अर्हता प्राप्त न कर लें, का उल्लेख किया गया है।

प्रश्नगत बिन्दु-02 के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता परीक्षा में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में अनुरोध किया गया है, जिस पर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा किसी विशिष्ट मामले में यथा समय डी0पी0सी0 में पदोन्नति हेतु प्रस्तावित, एवं अन्यथा नियमानुसार अर्ह, अपर सहायक अभियन्ताओं/कनिष्ठ अभियन्ताओं/संगणकों को विशेष छूट प्रदान करने पर/शिथिल करने पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में की गयी टिप्पणी को दृष्टिगत रखते हुए अवगत कराना है कि सेवा की शर्तों में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में शिथिलता विनियम-28 के अन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जहाँ निगम का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से, किसी विशिष्ट मामले में, अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ निगम, उस मामले में, प्रयोज्य विनियम में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस विनियम की उपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उस मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकता है।

उक्त सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा दिनांक 04.10.2012 के द्वारा "अर्हता परीक्षा में छूट, व्यक्तियों विशेष को ही प्रदान की जा सकती है, किसी चयन वर्ष चयनित किये जाने वाले unidentified व्यक्तियों या पैनल में विचारार्थ लिये गये सभी कार्मिकों को नहीं। अतः नियमानुसार DPC करके चयनित कार्मिकों के लिये अर्हता परीक्षा से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये, जिस पर निणयोपरान्त ही पदोन्नति आदेश जारी किये जायेंगे।" की टिप्पणी अंकित की गयी है।

सेवा नियमावली के 5(1) विनियम 6, 17 और 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

- (क) सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं (विद्युत/याँत्रिक)
- (एक) 39 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा।

टिप्पणी :- सहायक अभियन्ता के रूप में प्रारम्भिक भर्ती केवल अस्थायी पदों के प्रति की जायेगी।

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी, विनियमावली के प्रख्यापन के दिनांक को निगम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं, जो प्रतिनियुक्ति की तिथि से निरन्तर कार्यरत हों और पद की शैक्षिक अर्हता धारित करते हो, का संविलियन निर्धारित मानकों के अन्तर्गत जैसा कि राज्य सरकार विहित करें, सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध कर सकेगा।

टिप्पणी :- प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ व्यक्तियों को नियुक्ति से पूर्व किसी चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा नियुक्ति प्राधिकारी नहीं करेगा। शेष पद आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा निम्न प्रकार से भरे जायेंगे।

*ln* *Dr* *AW*

- (दो) (1) 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)/(विद्युत यंत्रिक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता के रूप में की गयी सेवा में से कम से कम 05 वर्ष की सेवा उत्तराखण्ड लोक सेवा के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा।
- (2) 8.33 प्रतिशत पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत यंत्रिक) जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें से कम से कम 02 वर्ष 06 माह की सेवा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, और जिन्होंने चयन के 10 वर्ष के भीतर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल-अभियन्त्रण या विद्युत/यंत्रिक अभियन्त्रण में स्नातक की उपाधि निगम की पूर्वानुमति से प्राप्त कर ली हो, या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) (सिविल या विद्युत/यंत्रिक इंजीनियरिंग ब्रांच) को एसोशिएट मेम्बर हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। यदि किसी चयन वर्ष में ऐसे कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता उपलब्ध न हों तो, उक्त कोटे के शेष रिक्त पद नियम 5(क)(दो)(1) की व्यवस्थानुसार सामान्य, कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
- (3) 2.67 प्रतिशत पद, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संगणकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें से कम से कम 02 वर्ष 06 माह की सेवा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

**टिप्पणी :-** परन्तु यह भी कि सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गयी सेवा जहाँ अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गयी हो, वहाँ कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गयी सेवा अवधि आगणित कर ली जायेगी।

#### 5. चयन प्रक्रिया :-

उल्लेखनीय है कि विभाग में वर्तमान में लागू सेवानियमावली के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रहीं हैं। कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनांक 08.07.2009 (संलग्नक-4) में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए 'ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली-2009" को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या 2468/उत्तराखण्ड शासन/ दिनांक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है।

#### 7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण :-


उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1144/का-2/2001 53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 (संलग्नक-5) द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षण क्रमशः 19 एवं 4 प्रतिशत है। इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1455/कार्मिक-2/2001 दिनांक 31.08.2001 (संलग्नक-6) एवं शासनादेश सं0 87/XXX(2)/2006, दिनांक 21.01.2006 का पूर्व में प्राविधान था, किन्तु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 902/XXX(2)/2012-

55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनुभाग-2, दिनांक 05.09.2012 के द्वारा राज्यधीन लोक सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न संगठनात्मक ढाँचों में प्रोन्नति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरा जाने का प्राविधान किया गया है।

10. वरिष्ठता क्षेत्र में आने वाले अपर सहायक अभियन्ता की पात्रता सूची:-

शासनादेश संख्या 1801/कार्मिक-2/2002, दिनांक 23.06.2003 (संलग्नक-7) में निहित प्राविधानानुसार प्रोन्नति का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर 1 से 5 रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 तथा 5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना परन्तु कम से कम 10 अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित किये जाने हैं।

11. कार्मिक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासनादेश सं० 1674/XXX(2)/2010 दिनांक 23.11.2010
12. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के सापेक्ष पात्र अपर सहायक अभियन्ता/संगणकों की पात्रता सूची (संलग्नक-8) रखी गयी है।
13. सिविल सवर्ग के अन्तर्गत पात्रता सूची में अंकित नाम के समक्ष पात्र अपर सहायक अभियन्ताओं/संगणकों के पिछले 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में की गयी प्रविष्टियों का सार पत्र (संलग्नक-9)।
14. अनुशासनिक जॉच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण (संलग्नक-10)।
15. कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की वरिष्ठता सूची अक्टूबर-2010 (संलग्नक-11)।
16. अपर सहायक अभियन्ता/संगणक की कार्यरत सूची, सितम्बर-2012 (संलग्नक-12)।
17. सहायक अभियन्ता (सिविल) की वरिष्ठता सूची दिसम्बर-2010 (संलग्नक-13)।





मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) एवं अध्यक्ष चयन समिति की अध्यक्षता में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 22/10/2012 को आहूत गठित चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक आहूत हुई, जिसमें चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र सं० 128/मु०अ०(मु०) गो०अधि० सामान्य/12, दिनांक 18/10/2012 द्वारा चयन समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. इं० वाई० सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। - अध्यक्ष
2. इं० जी०सी० जोशी, महाप्रबन्धक प्रतिनिधि मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। - सदस्य
3. इं० रवि रंजन, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून। - सदस्य
4. इं० वी०सी० गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, यंत्रिक मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। - सदस्य
5. इं० प्रेम सिंह, महाप्रबन्धक (भूजल सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। - सदस्य
6. इं० एस०के० पन्त, अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। - संयोजक

चयन समिति के समक्ष निम्नलिखित अभिलेखों के साथ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया:-

1. उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231/नौ-2 (12अधि०)/2001, दिनांक 07.11.2002।
2. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि०)/2002 दिनांक 12.12.2006
3. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 479/XXX(2)/2009, दिनांक 08.07.2009
4. प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून का कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/बोर्ड बैठक (सेवाविनियमावली)/11, दिनांक 16.01.2012
5. राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 902/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनु०-2, दिनांक 05.09.2012
6. 904/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनु०-2, दिनांक 05.09.2012
7. 905/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनु०-2, दिनांक 05.09.2012
8. शासनादेश संख्या 1674/XXX(2)/2010, कार्मिक अनुभाग, दिनांक 23.11.2010
9. राज्य अधीन सेवाओं में पदोन्नति द्वारा ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।
10. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के सम्भावित रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र अभियन्ताओं की सूची।

22/10/12 22/10 20/10/12 22/10/12 22/10/12

11. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के सम्भावित रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र संगणकों की सूची।
12. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के सम्भावित रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र अपर सहायक अभियन्ताओं के पिछले 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन में की गयी प्रविष्टि का सार पत्र।
13. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के सम्भावित रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र संगणकों के पिछले 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन में की गयी प्रविष्टि का सार पत्र।
14. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के सम्भावित रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र अपर सहायक अभियन्ताओं के अनुशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।
15. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के सम्भावित रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र संगणकों के अनुशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।
16. अपर सहायक अभियन्ता की कार्यरत सूची माह सितम्बर, 2012
17. कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की वरिष्ठता सूची।
18. संगणकों की वरिष्ठता सूची।
19. संगणकों की कार्यरत सूची।

चयन समिति द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिकों से सम्बन्धित प्रस्तुत सुसंगत समस्त अभिलेखों जिसमें 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ब्राडशीट भी सम्मिलित है, का अध्ययन किया गया। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर चयन करने के लिए समिति के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तुत प्रचलित शासनादेशों एवं चयन के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 479/XXX(2)/2009, दिनांक 08.07.2009 के क्रमांक-3(1) से 3(6) पर उल्लेखित ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया तथा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुरूप उपयुक्त पात्र कार्मिकों को चयन हेतु विचार किया गया।

(एक) डिप्लोमा प्राप्त 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत 96 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 64 कार्मिक कार्यरत हैं तथा 32 पद रिक्त हैं। उक्त कोटे के सामान्य संवर्ग में 16 पद तथा अनसूचित जाति के 12 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 04 पद रिक्त हैं। शासनादेश संख्या 902/XXX(2)/2012- 55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनु0-2, दिनांक 05.09.2012 के अनुसार विभिन्न संरचनात्मक ढाँचों में प्रोन्नति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरे जाने का प्राविधान है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति के 12 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 04 पदों को जोड़ते हुए कुल 16 पदों को सामान्य संवर्ग की रिक्तियों में जोड़ते हुए (16 + 12 + 4 = 32) कुल 32 रिक्त पदों पद पदोन्नतियाँ किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

22/10/12      22/10/12      22/10/12      22/10/12      22/10/12

1. डिप्लोमा प्राप्त 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पात्रता सूची क्रमांक-01 से 32 में उल्लेखित वरिष्ठता क्रम में निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई :-

क्र० सं०	अपर सहा०अभि० का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	दिनेश चन्द्र मित्तल	श्री एस०एस० मित्तल
02	राजेश चन्द्र मित्तल	श्री जय प्रकाश मित्तल
03	राजेन्द्र पाल	श्री खेम चन्द्र गुप्ता
04	मुंशी यादव	श्री रामनरेश यादव
05	मुन्लाल गुप्ता	श्री काशीराम गुप्ता
06	सुभान अली	श्री करम कर्मुल्लाह
07	क्यू.एम. जैदी	श्री अतर हसन जैदी
08	सुशील कुमार शर्मा	श्री प्रेम दत्त शर्मा
09	मनमोहन सिंह सरपाल	श्री मेगा मल सरपाल
10	महेश चन्द्र दुर्गपाल	श्री एस०वी० दुर्गपाल
11	उमराव सिंह घुघत्याल	श्री देव सिंह घुघत्याल
12	बसन्त कुमार तिवारी	श्री जीवानन्द तिवारी
13	चावस नाथ राय	श्री एस०एन० राय
14	हरीश चन्द्र पाठक	श्री रामसुभग पाठक
15	मोहनचन्द्र उप्रेती	श्री देवी दत्त उप्रेती
16	राजेन्द्र सिंह	श्री लाखन सिंह
17	नर सिंह तिवारी	श्री पारस नाथ तिवारी
18	प्रेम सिंह रावत	श्री गुमान सिंह रावत
19	सुरेश कुमार	श्री हरकिरण सिंह
20	हरिशंकर मिश्रा	श्री आर०ए० मिश्रा
21	सुधीर कुमार	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
22	सूर्यभान विश्वकर्मा	श्री फूलचन्द्र विश्वकर्मा
23	निर्मल कुमार दूबे	श्री मुन्ना लाल दूबे
24	नरेश कुमार चौहान	श्री इन्द्र सिंह चौहान
25	शैलेश चन्द रमोला	श्री भीष्मचन्द रमोला
26	कमलेश कुमार भट्ट	श्री तारा दत्त भट्ट
27	मदन पुरी	श्री बिशन पुरी
28	रामजीराम वर्मा	श्री पंचदेव राम
29	केशवदत्त भट्ट	श्री सदा नन्द भट्ट
30	अरविन्द कुमार चतुर्वेदी	श्री हरगोविन्द चतुर्वेदी
31	सतीश कुमार शर्मा	श्री एस०एन० शर्मा
32	प्रदीप कुमार अग्रवाल	श्री ब्रहमा नन्द गर्ग

(दो) 8.33/कोटे के अन्तर्गत ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के वर्तमान में 16 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 05 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं तथा शेष 11 रिक्त पदों में 07 पद सामान्य एवं 04 पद अनुसूचित जाति के पद रिक्त हैं। शासनादेश संख्या 902/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनु०-2, दिनांक 05.09.2012 के अनुसार विभिन्न संरचनात्मक ढाँचों में प्रान्ति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरे जाने का प्राविधान है।

22/10/12

22/10/12

22/10/12

22/10/12

22/10/12

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति के 04 पदों को जोड़ते हुए कुल 07 पदों को सामान्य संवर्ग की रिक्तियों में जोड़ते हुए (07 + 04 = 11) कुल 11 रिक्त पदों पद पदोन्नतियों किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया, किन्तु वर्तमान में विभाग में सेवा विनियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भर्ती का स्रोत-5 के विनियम-02 के अनुरूप पात्र कार्मिकों ~~उपलब्ध~~ <sup>को नियोजन हेतु पात्र के</sup> कारण वर्तमान में रिक्त 11 पदों को ए0एम0आई0ई0/बी0ई0 उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) कोटे के अन्तर्गत पदों को रिक्त रखने का निर्णय लिये जाने की संस्तुति की गयी।

(तीन) 2.67/कोटे के अन्तर्गत संगणक से सहायक अभियन्ता के पद पर वर्तमान में 05 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 04 पद सामान्य संवर्ग तथा 01 पद अनुसूचित जाति का है। उक्त कोटे के विरुद्ध वर्तमान में सामान्य संवर्ग के 02 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं, जिस कारण 02 पद रिक्त हैं। शासनादेश संख्या 902/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनु0-2, दिनांक 05.09.2012 के अनुसार विभिन्न संरचनात्मक ढाँचों में प्रान्ति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये, बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरे जाने का प्राविधान है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य संवर्ग के 02 रिक्त पदों एवं अनुसूचित जाति का 01 रिक्त पद को सम्मिलित करते हुए कुल 03 पदों पर निम्नानुसार कार्मिकों की पदोन्नति हेतु निर्णय लिया गया।

1. 2.67/कोटे के अन्तर्गत पात्रता सूची क्रमांक-01 से 03 में उल्लेखित वरिष्ठता क्रम में निम्नलिखित संगणक (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई :-

क्र0 सं0	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
✓ 01	हर्षमणि पन्त	स्व0 श्री श्याम लाल पन्त
✓ 02	चन्दन सिंह बिष्ट	स्व0 श्री नारायण सिंह बिष्ट
✓ 03	शेखर चन्द्र तिवारी	श्री गोपाल दत्त तिवारी

- (चार) 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2013 तक 05 सेवानिवृत्त होने वाले सहायक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों अथवा उपलब्ध रिक्त पद के विरुद्ध पात्रता सूची के वरिष्ठतानुसार निम्नानुसार पात्र अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया एवं चयन हेतु संस्तुति की गयी :-

क्र0 सं0	अपर सहा0अभि0 का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
	02	03
✓ 01	उषेन्द्र कुमार	श्री लाल सिंह
✓ 02	कान्ताप्रसाद सती	श्री धर्मानन्द सती
✓ 03	गिरिजामूषण जोशी	श्री हरिनन्दन जोशी
✓ 04	राधा कृष्ण सिंह	श्री असरफी लाल
✓ 05	अरुण कुमार त्यागी	श्री कृष्ण कुमार त्यागी

22/10/12      22/10/12      22/10/12      22/10/12

चयन समिति द्वारा पात्रता सूची के क्रमांक-3 एवं क्रमांक-8 पर क्रमशः श्री राजेन्द्र पाल एवं श्री क्यूएम0 जैदी, अपर सहायक अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता में पदोन्नति हेतु चयन किया गया है। चयनोंपरान्त पदोन्नति आदेश निर्गत होने के उपरान्त उक्त दोनों कार्मिक क्रमशः दिनांक 30.11.2012 एवं 28.02.2013 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे, जिस कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के 02 पद रिक्त हो जायेंगे। इन 02 रिक्त पदों के विरुद्ध पात्रता सूची के वरिष्ठता क्रम में निम्नानुसार कार्मिकों को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए चयनित किये जाने की संस्तुति की गयी।

क्र० सं०	अपर सहा०अभि० का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	मुकेश चन्द्र जोशी	श्री केशव दत्त जोशी
02	ठाकुर दत्त गुंसाई	श्री धर्मचन्द्र गुंसाई

(पाँच) 2.67 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2013 तक कोई संगणक (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवानिवृत्त नहीं होगा, किन्तु चयन समिति द्वारा पात्रता सूची के क्रमांक-03 पर अंकित श्री शेखर चन्द्र तिवारी, संगणक को सहायक अभियन्ता के पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है। चयनोंपरान्त पदोन्नति आदेश निर्गत होने के उपरान्त उक्त कार्मिक दिनांक 30.03.2013 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे, जिस कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) का 01 पद रिक्त हो जायेगा। इस 01 रिक्त पद के विरुद्ध पात्रता सूची के वरिष्ठता क्रम में निम्नानुसार कार्मिक का पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए चयनित किये जाने की संस्तुति की गयी।

क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	राजेन्द्र सिंह राणा	स्व० श्री रघुनाथ सिंह राणा

(छः) उक्त के अतिरिक्त 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत कुल 32 रिक्त पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत पैनल के अन्तर्गत वरिष्ठता क्रम में निम्नानुसार अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया एवं चयन हेतु संस्तुति की गयी :-

क्र० सं०	अपर सहा०अभि० का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	राम अवतार सिंह	श्री राम कुमार सिंह
02	दिनेश चन्द्र चन्दौला	श्री जे०डी० चन्दौला
03	कृष्ण मोहन सिंह	श्री भगवान सिंह
04	सत्य पाल सिंह देवरा	श्री धीरज सिंह
05	दान सिंह रावत	श्री लक्ष्मण सिंह रावत
06	तोता राम जगूडी	श्री सरजूराम जगूडी
07	रविशंकर गुप्ता	श्री ब्रह्मानन्द गर्ग
08	हेमचन्द जोशी	श्री हीराबल्लभ जोशी

22/10/12 22/10/12 22/10/12 22/10/12


श्री शिवराज पुत्र श्री धर्मराज अपर सहायक अभियन्ता का वर्ष 2011-12 का गोपनीय प्रतिवेदन चयन समिति की बैठक की तिथि तक अप्राप्त होने के कारण चयन समिति द्वारा उनके चयन पर विचार न करने का निर्णय लिया गया।

(सात) उक्त के अतिरिक्त 2.67 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत कुल 03 रिक्त पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत पैनल के अन्तर्गत वरिष्ठता क्रम में निम्नानुसार संगणक (सिविल) को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया एवं चयन हेतु संस्तुति की गयी :-

क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	श्री लक्ष्मी प्रसाद रतूड़ी	श्री ज्ञानानन्द रतूड़ी


चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त चयनित समस्त कार्मिकों को अर्हता परीक्षा में शिथिलीकरण किये जाने के उपरान्त ही उक्त कार्मिकों का चयन मान्य होगा।

उक्त चयन वर्ष 2012-2013 (दिनांक 01.07.2012 से 30.06.2013) तक मान्य होगा।

  
22/10/12


(एस०के० पन्त)

अधिसासी अभियन्ता (कार्मिक)  
एवं सदस्य  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून

  
22/10/12


(प्रेम सिंह)

महाप्रबन्धक (भूजल सर्वेक्षण)  
एवं सदस्य  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

  
22/10/12


(वी०सी० गर्ग)

अधीक्षण अभियन्ता एवं सदस्य  
यॉत्रिक मण्डल,  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

  
22/10/12


(रवि रंजन)

अधीक्षण अभियन्ता एवं सदस्य  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून।

  
22/10/12

(जी०सी० जोशी)

महाप्रबन्धक  
प्रतिनिधि मुख्य महाप्रबन्धक एवं  
सदस्य निर्माण विंग,  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

  
22/10/2012

(वाई० सिंह)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
एवं अध्यक्ष चयन समिति  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला एजेण्डा नोट :-

उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231/नौ-2(12अधि०)/2001, दिनांक 07.11.2002 (संलग्नक-1) द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम-1975 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-86 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथावत् लागू है।

1. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि०)/2002 दिनांक 12.12.2006 (संलग्नक-2) द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/बोर्ड बैठक (सेवाविनियमावली)/11, दिनांक 16.01.2012 (संलग्नक-3) के द्वारा शासनादेश संख्या 1415/उत्तीस(1)/2011-(34अधि०)/07, दिनांक 23.12.2011 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति एवं उत्तराखण्ड (उ०प्र० जल सम्भरण एवं सीवरेज व्यवस्था अधिनियम-1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002 की धारा-97 'में निहित प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निदेशक मण्डल की 12वीं बोर्ड बैठक के प्रस्ताव संख्या 12.15 पर लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अभियन्ताओं पर लागू होने वाली उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता संवर्ग से सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों पर पदोन्नति कर नियुक्ति की जानी है।

2. वर्तमान में सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) के 28 स्वीकृत पदों के सापेक्ष डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता से पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत अर्थात् 14 सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०), ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण पदोन्नति कोटे से 8.33 प्रतिशत अर्थात् 02 पद एवं संगणक से सहायक अभियन्ता पदोन्नति कोटे से 2.67 प्रतिशत अर्थात् 01 पद बनते हैं।

विभाग में सिविल संवर्ग के अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति हेतु सहायक अभियन्ताओं के विभिन्न कोटे के अन्तर्गत रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

सहायक अभियन्ता (वि०यॉ० संवर्ग) :-

क्र०	विवरण	प्रतिशत	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	आरक्षण की स्थिति				
						कुल	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जन जाति	पि० जाति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	कुल स्वीकृत पद		28							
1	सीधी भर्ती के पद	39%	11							
	कार्यरत									
	सीधी भर्ती के रिक्त पद									
2	पदोन्नति के पद									
	डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यॉ०) से सहायक अभियन्ता	50%	14			14	11	3	0	0
	कार्यरत			12		12	12	0	0	0
	रिक्त पद				2	2	-1	3	0	0
3	ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण सहायक अभियन्ता	8.33%	2			2	1	1	0	0
	कार्यरत			1		1	1	0	0	0
	रिक्त पद				1	1	0	1	0	0
4	संगणक से सहायक अभियन्ता	2.67%	1			1	1	0	0	0
	कार्यरत			0		0	0	0	0	0
	रिक्त पद				1	1	1	0	0	0
	योग पदोन्नति के पद		17	13	4	4	0	4	0	0

- डिप्लोमा प्राप्त अपर सहायक अभियन्ताओं (50 प्रतिशत कोटा) में कुल 14 पदों के सापेक्ष 12 पात्र कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण सहायक अभियन्ताओं के 02 पद रिक्त हैं।

उक्त सामान्य संवर्ग के 11 पदों के विरुद्ध 12 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण 01 अतिरिक्त सहायक अभियन्ता कार्यरत है तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 03 पदों के विरुद्ध कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है, जिस कारण 03 पद रिक्त हैं एवं अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं बनता है। इस प्रकार कुल  $3-1=2$  पद रिक्त हैं।

- ए०एम०आई०ई०/बी०ई० (8.33 प्रतिशत कोटा) उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत 02 पदों के सापेक्ष 01 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत 01 सहायक अभियन्ता का पद रिक्त हैं।

उक्त 02 पदों के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग के 01 पद के विरुद्ध 01 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण कोई पद रिक्त नहीं है तथा अनुसूचित जाति वर्ग का 01 पद के विरुद्ध कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है, जिस कारण 01 पद रिक्त हैं एवं अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं बनता है। इस प्रकार कुल 01 पद रिक्त हैं।





➤ संगणक से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति (2.67 प्रतिशत कोटा) के अन्तर्गत 01 पद के विरुद्ध कोई कार्मिक कार्यरत है, जिस कारण 01 पद रिक्त हैं।

उक्त 01 पद के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग का कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है, जिस कारण 01 पद रिक्त है तथा अनुसूचित जाति वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं बनता है। इस प्रकार कुल 01 पद रिक्त हैं।

3. सेवा विनियामवली के भाग-पाँच : भर्ती की प्रक्रिया :-  
रिक्तियों की अवधारणा 14.

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा इनके लिए क्षेत्रीय आरक्षण अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा, का प्राविधान किया गया है, किन्तु राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 902/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनुभाग-2, दिनांक 05.09.2012 के द्वारा राज्याधीन लोक सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न संगठनात्मक ढाँचों में प्रोन्नति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरा जाने का प्राविधान किया गया है।

चयन वर्ष 2012-2013 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0याँ0) पद हेतु कुल पदोन्नत रिक्तियों का विवरण :-

क्र0 सं0	विवरण	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
01	02	04	05	06
1	डिप्लोमा प्राप्त अपर सहायक अभियन्ता (वि0याँ0) से सहायक अभियन्ता (वि0याँ0)	14	12	02
2	30.06.2013 तक सहा0अभि0 (वि0याँ0) के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पद (डिप्लोमा प्राप्त)।	0	0	0
3	ऐसे अपर सहायक अभियन्ता जो अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0) के पद पर पदोन्नत होने के उपरान्त दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त हो जायेंगे।	0	0	0
4	ए0एम0आई0ई0/बी0ई0 उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (वि0याँ0) से सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0)	02	01	01
5	30.06.2013 तक ए0एम0आई0ई0/बी0ई0 उत्तीर्ण सहायक अभियन्ता (वि0याँ0) के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पद।	0	0	0
6	संगणक से सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0)	01	0	01
7	30.06.2013 तक संगणक से सहायक अभियन्ता (वि0याँ0) के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पद।	0	0	0
8	ऐसे संगणक जो संगणक से सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0) के पद पर पदोन्नत होने के उपरान्त दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त हो जायेंगे। (सम्भावित)	0	0	01
	कुल रिक्त पदों का योग			05

*(Handwritten signatures and initials)*

4. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :-

चयन समिति:-

चयन निम्नानुसार अधिकारियों की गठित चयन समिति द्वारा किया जाना है :-

1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून — अध्यक्ष
2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून — सदस्य
3. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून — सदस्य
4. महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून — सदस्य
5. अधीक्षण अभियन्ता, यॉत्रिक मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून — सदस्य
6. अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून — संयोजक

5. चयन की प्रक्रिया :-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी, चयन समिति के समक्ष पात्र अधिकारियों की पात्रता सूची प्रस्तुत करेंगे।
- (2) चयन समिति अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकायें, प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों और अन्य ऐसे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों के, जो उचित समझे जायें के आधार पर चयन करेगी।
- (3) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी जिसमें उनके नाम, जिन पदों से उनका चयन किया गया हो, उन पर उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी। उक्त सूची चयन वर्ष (एक जुलाई से अगले वर्ष 30 जून) तक मान्य रहेगी।
- (4) पदोन्नति द्वारा चयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य की उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्यधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" एवं "श्रेष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया नियमावली 2009 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

6. भर्ती का स्रोत :-

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/बोर्ड बैठक (सेवाविनियमावली)/11, दिनांक 16.01.2012 के द्वारा शासनादेश संख्या 1415/उन्तीस(1)/2011-(34अधि0)/07, दिनांक 23.12.2011 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति एवं उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवरेज व्यवस्था अधिनियम-1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002 की धारा-97 में निहित प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निदेशक मण्डल की 12वीं बोर्ड बैठक के प्रस्ताव संख्या 12.15 पर लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अभियन्ताओं पर लागू होने वाली उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता संवर्ग से सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों पर पदोन्नति कर नियुक्ति की जानी है।



उक्त विनियमावली के भाग-3 भर्ती-भर्ती का स्रोत 5.(1) विनियम 'क' सहायक अभियन्ता (सिविल/वि०याँ०) टिप्पणी में स्पष्ट है कि प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ व्यक्तियों को नियुक्ति से पूर्व किसी चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा नियुक्ति प्राधिकारी नहीं करेगा। शेष पद आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है।

1. उक्त टिप्पणी के परिपेक्ष्य में अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 443/अधि०अनु०- अधि०कनि०अभि०/23, दिनांक 20.03.2012 के द्वारा अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु विधि सम्मत आवश्यक परामर्श निगम को देने हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु आयोग से इस सम्बन्ध में कोई मार्ग दर्शन प्राप्त न होने के उपरान्त पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 678/अधि०अनु०- अधि०कनि०अभि०/35, दिनांक 27.04.2012 के द्वारा पुनः वांछित मार्ग दर्शन हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु लोक सेवा आयोग के माध्यम से आतिथि तक कोई मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है।
2. उक्त सन्दर्भित सेवा विनियमावली के तकनीकी अर्हता विनियम-11 के बिन्दु-03 में उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के किसी अपर सहायक अभियन्ता या संगणक को विनियम 5(1)(एक)(दो) के अधीन सहायक अभियन्ता (सिविल या वि०/याँ०) के पद पर तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा, जब तक की वह तथास्थाति ऐसी अर्हता परीक्षा जिसे निगम विहित करें, उत्तीर्ण न कर लें, या विनियम 5(1) व 5(2) में निहित तकनीकी अर्हता प्राप्त न कर लें, का उल्लेख किया गया है।

प्रश्नगत बिन्दु-02 के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता परीक्षा में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में अनुरोध किया गया है, जिस पर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा किसी विशिष्ट मामले में यथा समय डी०पी०सी० में पदोन्नति हेतु प्रस्तावित, एवं अन्यथा नियमानुसार अर्ह, अपर सहायक अभियन्ताओं/कनिष्ठ अभियन्ताओं/संगणकों को विशेष छूट प्रदान करने पर/शिथिल करने पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में की गयी टिप्पणी को दृष्टिगत रखते हुए अवगत कराना है कि सेवा की शर्तों में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में शिथिलता विनियम-28 के अन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जहाँ निगम का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से, किसी विशिष्ट मामले में, अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ निगम, उस मामले में, प्रयोज्य विनियम में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस विनियम की उपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उस मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकता है।

उक्त सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा दिनांक 04.10.2012 के द्वारा "अर्हता परीक्षा में छूट, व्यक्तियों विशेष को ही प्रदान की जा सकती है, किसी चयन वर्ष चयनित किये जाने वाले unidentified व्यक्तियों या पैनल में विचारार्थ लिये गये सभी कार्मिकों को नहीं। अतः नियमानुसार DPC करके चयनित कार्मिकों के लिये अर्हता परीक्षा से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये, जिस पर निणयोपरान्त ही पदोन्नति आदेश जारी किये जायेंगे।" की टिप्पणी अंकित की गयी है।

H O

सेवा नियमावली के 5(1) विनियम 6, 17 और 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

(क) सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं (विद्युत/याँत्रिक)

(एक) 39 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा।

टिप्पणी :- सहायक अभियन्ता के रूप में प्रारम्भिक भर्ती केवल अस्थायी पदों के प्रति की जायेगी।

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी, विनियमावली के प्रख्यापन के दिनांक को निगम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं, जो प्रतिनियुक्ति की तिथि से निरन्तर कार्यरत हों और पद की शैक्षिक अर्हता धारित करते हो, का संविलियन निर्धारित मानकों के अन्तर्गत जैसा कि राज्य सरकार विहित करें, सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध कर सकेगा।

टिप्पणी :- प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ व्यक्तियों को नियुक्ति से पूर्व किसी चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा नियुक्ति प्राधिकारी नहीं करेगा। शेष पद आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा निम्न प्रकार से भरे जायेंगे।

(दो) (1) 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)/(विद्युत याँत्रिक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता के रूप में की गयी सेवा में से कम से कम 05 वर्ष की सेवा उत्तराखण्ड लोक सेवा के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा।

(2) 8.33 प्रतिशत पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत याँत्रिक) जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें से कम से कम 02 वर्ष 06 माह की सेवा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, और जिन्होंने चयन के 10 वर्ष के भीतर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल-अभियन्त्रण या विद्युत/याँत्रिक अभियन्त्रण में स्नातक की उपाधि निगम की पूर्वानुमति से प्राप्त कर ली हो, या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) (सिविल या विद्युत/याँत्रिक इंजीनियरिंग ब्राँच) को एसोशिएट मेम्बर हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। यदि किसी चयन वर्ष में ऐसे कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता उपलब्ध न हों तो, उक्त कोटे के शेष रिक्त पद नियम 5(क)(दो)(1) की व्यवस्थानुसार सामान्य, कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(3) 2.67 प्रतिशत पद, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संगणकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसमें से कम से कम 02 वर्ष 06 माह की सेवा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 के अनुसार परिभाषित दुर्गम क्षेत्र में की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी :- परन्तु यह भी कि सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सेवा अवधि की संगणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गयी सेवा जहाँ अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गयी हो, वहाँ कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर की गयी सेवा अवधि आगणित कर ली जायेगी।



5. चयन प्रक्रिया :-

उल्लेखनीय है कि विभाग में वर्तमान में लागू सेवानियमावली के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रहीं हैं। कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनांक 08.07.2009 (संलग्नक-4) में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए 'ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली-2009" को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या 2468/उत्तराखण्ड शासन/ दिनांक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है।


7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण :-

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1144/का-2/2001 53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 (संलग्नक-5) द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षण क्रमशः 19 एवं 4 प्रतिशत है। इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1455/कार्मिक-2/2001 दिनांक 31.08.2001 (संलग्नक-6) एवं शासनादेश सं0 87/XXX(2)/2006, दिनांक 21.01.2006 का पूर्व में प्राविधान था, किन्तु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 902/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनुभाग-2, दिनांक 05.09.2012 के द्वारा राज्यधीन लोक सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न संगठनात्मक ढाँचों में प्रोन्नति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरा जाने का प्राविधान किया गया है।

10. वरिष्ठता क्षेत्र में आने वाले अपर सहायक अभियन्ता की पात्रता सूची:-

शासनादेश संख्या 1801/कार्मिक-2/2002, दिनांक 23.06.2003 (संलग्नक-7) में निहित प्राविधानानुसार प्रोन्नति का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर 1 से 5 रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 तथा 5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना परन्तु कम से कम 10 अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित किये जाने है।

11. कार्मिक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 1674/XXX(2)/2010 दिनांक 23.11.2010
12. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (वि0यॉ0) के सापेक्ष पात्र अपर सहायक अभियन्ता/संगणकों की पात्रता सूची (संलग्नक-8) रखी गयी है।
13. यॉत्रिकं सवंग के अन्तर्गत पात्रता सूची में अंकित नाम के समक्ष पात्र अपर सहायक अभियन्ताओं/संगणकों के पिछले 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में की गयी प्रविष्टियों का सार पत्र (संलग्नक-9)।
14. अनुशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण (संलग्नक-10)।
15. कनिष्ठ अभियन्ता (वि0यॉ0) की वरिष्ठता सूची अक्टूबर-2010 (संलग्नक-11)।
16. अपर सहायक अभियन्ता/संगणक की कार्यरत सूची, सितम्बर-2012 (संलग्नक-12)।
17. सहायक अभियन्ता (वि0यॉ0) की वरिष्ठता सूची दिसम्बर-2010 (संलग्नक-13)।



मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) एवं अध्यक्ष चयन समिति की अध्यक्षता में सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 22/10/2012 को आहूत गठित चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक आहूत हुई, जिसमें चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र सं० 128/मु०अ०(मु०) गो०अधि० सामान्य/12, दिनांक 18/10/2012 द्वारा चयन समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. इं० वाई० सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।                               | - अध्यक्ष |
| 2. इं० जी०सी० जोशी, महाप्रबन्धक प्रतिनिधि मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून। | - सदस्य   |
| 3. इं० रवि रंजन, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून  | - सदस्य   |
| 4. इं० वी०सी० गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, यांत्रिक मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून                       | - सदस्य   |
| 5. इं० प्रेम सिंह, महाप्रबन्धक (भूजल सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।                           | - सदस्य   |
| 6. इं० एस०के० पन्त, अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।                            | - संयोजक  |

चयन समिति के समक्ष निम्नलिखित अभिलेखों के साथ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया :-

1. उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231/नौ-2 (12अधि०)/2001, दिनांक 07.11.2002।
2. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि०)/2002 दिनांक 12.12.2006
3. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 479/XXX(2)/2009, दिनांक 08.07.2009
4. प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून का कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/बोर्ड बैठक (सेवाविनियमावली)/11, दिनांक 16.01.2012
5. राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 902/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनु०-2, दिनांक 05.09.2012
6. 904/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनु०-2, दिनांक 05.09.2012
7. 905/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनु०-2, दिनांक 05.09.2012
8. शासनादेश संख्या 1674/XXX(2)/2010, कार्मिक अनुभाग, दिनांक 23.11.2010
9. राज्य अधीन सेवाओं में पदोन्नति द्वारा ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।
10. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के सम्भावित रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र अभियन्ताओं की सूची।


22/10/12      22/10/12      22/10/12      22/10/12      22/10/12

11. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के सम्भावित रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र संगणकों की सूची।
12. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के सम्भावित रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र अपर सहायक अभियन्ताओं के पिछले 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन में की गयी प्रविष्टि का सार पत्र।
13. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के सम्भावित रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र संगणकों के पिछले 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन में की गयी प्रविष्टि का सार पत्र।
14. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के सम्भावित रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र अपर सहायक अभियन्ताओं के अनुशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।
15. चयन वर्ष 2012-2013 में सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के सम्भावित रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र संगणकों के अनुशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।
16. अपर सहायक अभियन्ता की कार्यरत सूची माह सितम्बर, 2012
17. कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) की वरिष्ठता सूची।
18. संगणकों की वरिष्ठता सूची।
19. संगणकों की कार्यरत सूची।

चयन समिति द्वारा सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिकों से सम्बन्धित प्रस्तुत सुसंगत समस्त अभिलेखों जिसमें 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ब्राडशीट भी सम्मिलित है, का अध्ययन किया गया। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर चयन करने के लिए समिति के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तुत प्रचलित शासनादेशों एवं चयन के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 479/XXX(2)/2009, दिनांक 08.07.2009 के क्रमांक-3(1) से 3(6) पर उल्लेखित ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया तथा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुरूप उपयुक्त पात्र कार्मिकों को चयन हेतु विचार किया गया।

(एक) डिप्लोमा प्राप्त 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत 14 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 12 कार्मिक कार्यरत हैं तथा 02 पद रिक्त हैं। उक्त कोटे के सामान्य संवर्ग में 11 पद के विरुद्ध 12 कार्मिक कार्यरत हैं, जिस कारण एक पद अतिरिक्त कार्यरत है तथा अनुसूचित जाति के 03 पद के विरुद्ध कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है, जिस कारण 03 पद रिक्त हैं तथा अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं बनता है।

शासनादेश संख्या 902/XXX(2)/ 2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनु०-2, दिनांक 05.09.2012 के अनुसार विभिन्न संरचनात्मक ढाँचों में प्रोन्नति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरे जाने का प्राविधान है।


 22/11/12      22/11/12      22/11/12      22/11/12      22/11/12

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए 3 आरक्षित पदों में से 01 सामान्य पद को घटाते हुए कुल 02 रिक्त पदों पर पदोन्नतियों किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

- 1. डिप्लोमा प्राप्त 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पात्रता सूची क्रमांक-01 एवं 02 में उल्लेखित वरिष्ठता क्रम में निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) से सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई :-

क्र० सं०	अपर सहा०अभि० का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	श्री विनय कुमार सक्सेना	श्री कृष्णा स्वरूप सक्सेना
02	श्री रामकुमार शर्मा	श्री एस०एन० शर्मा

(दो) 8.33/कोटे के अन्तर्गत ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) से सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के वर्तमान में 02 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 01 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं तथा अनुसूचित जाति का 01 पद रिक्त हैं। शासनादेश संख्या 902/XXX(2)/2012- 55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनु०-2, दिनांक 05.09.2012 के अनुसार विभिन्न संरचनात्मक ढाँचों में प्रान्ति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरे जाने का प्राविधान है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति के 01 पद को सामान्य संवर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति किये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु वर्तमान में विभाग में सेवा विनियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भर्ती का स्रोत-5 के विनियम-02 के अनुरूप पात्र कार्मिकों के अभाव में होने के कारण वर्तमान में रिक्त 01 पद को ए०एम०आई०ई०/बी०ई० उत्तीर्ण अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) से सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) कोटे के अन्तर्गत पद को रिक्त रखने का निर्णय लिये जाने की संस्तुति की गयी।

(तीन) 2.67/कोटे के अन्तर्गत संगणक से सहायक अभियन्ता के पद पर वर्तमान में 01 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है, जिस कारण 01 पद रिक्त हैं। शासनादेश संख्या 902/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनु०-2, दिनांक 05.09.2012 के अनुसार विभिन्न संरचनात्मक ढाँचों में प्रान्ति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरे जाने का प्राविधान है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य संवर्ग के 01 रिक्त पद पर निम्नानुसार कार्मिक की पदोन्नति हेतु निर्णय लिया गया।

- 1. 2.67/कोटे के अन्तर्गत पात्रता सूची क्रमांक-01 में उल्लेखित वरिष्ठता क्रम में निम्नलिखित संगणक (वि०याँ०) को सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई :-

क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	श्री विजय कुमार शर्मा	श्री सी०एम०एल० शर्मा

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including dates like 22/10/12 and 22/10/12.




(चार) 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2013 तक कोई कार्मिक सेवानिवृत्त न होने के कारण किसी भी कार्मिक का चयन नहीं किया गया।


चयन समिति द्वारा पात्रता सूची के क्रमांक-1 पर अंकित श्री विजय कुमार शर्मा, संगणक की सहायक अभियन्ता में पदोन्नति हेतु चयन किया गया है। चयनोपरान्त पदोन्नति आदेश निर्गत होने के उपरान्त श्री विजय कुमार शर्मा, संगणक दिनांक 30.11.2012 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे, जिस कारण उक्त कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०यौ०) का 01 पद रिक्त हो जायेगा, जिसके विरुद्ध श्री जी०एस० नेगी, संगणक का चयन किया गया किन्तु श्री जी०एस०नेगी के दिनांक 31/5/12 को सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उक्त रिक्त पद के विरुद्ध पात्रता सूची के वरिष्ठता क्रम में निम्नानुसार कार्मिकों को पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए चयनित किये जाने की संस्तुति की गयी।


क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम
01	02	03
01	श्री जी०एस० नेगी	श्री गुलाब सिंह नेगी
02	श्री भगवान लाल वर्मा	श्री बच्चू लाल वर्मा


चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त चयनित समस्त कार्मिकों को अर्हता परीक्षा में शिथिलीकरण एवं वांछित सेवा अवधि में छूट प्रदान करने के उपरान्त ही उक्त कार्मिकों का चयन मान्य होगा।


उक्त चयन वर्ष 2012-2013 (दिनांक 01.07.2012 से 30.06.2013) तक मान्य होगा।


  
(एस०के० पन्त)  
अधिसासी अभियन्ता (कार्मिक)  
एवं सदस्य  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून

  
(प्रेम सिंह)  
महाप्रबन्धक (भूजल सर्वेक्षण)  
एवं सदस्य  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

  
(वी०सी० गर्ग)  
अधीक्षण अभियन्ता एवं सदस्य  
यॉत्रिक मण्डल,  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

  
(रवि रंजन)  
अधीक्षण अभियन्ता एवं सदस्य  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून।

  
(जी०सी० जोशी)  
महाप्रबन्धक  
प्रतिनिधि मुख्य महाप्रबन्धक एवं  
सदस्य निर्माण विंग,  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

  
(वाई० सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
एवं अध्यक्ष चयन समिति  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।



कार्यालय : 2678078  
: 2672404

फैक्स : 0135-2672397  
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

# उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 132/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0अभियन्ता (सिविल)/12

दिनांक 02/11/12

## // कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 + 5400 (ग्रेड-पे) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में तैनाती की जाती है।

- जिन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती जनहित में की गयी है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय होगा तथा जिनकी पदोन्नति/तैनाती स्थानीय है, उन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
- पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नत कार्यालय पर दिनांक 12.11.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो (Forego)मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अपर सहा0अभि0 का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	दिनेश चन्द्र मित्तल	श्री एस0एस0 मित्तल	नि0शाखा, बागेश्वर	निर्माण शाखा, बागेश्वर	स्थानीय
02	राजेश चन्द्र मित्तल	श्री जय प्रकाश मित्तल	नि0शा0, देवप्रयाग	निर्माण मण्डल, नई टिहरी	जनहित
03	राजेन्द्र पाल	श्री खेम चन्द्र गुप्ता	देहरादून शाखा, देहरादून	निर्माण मण्डल, देहरादून	स्थानीय
04	मुंशी यादव	श्री रामनरेश यादव	नि0शाखा, हल्द्वानी	निर्माण शाखा, रामनगर	जनहित
05	मुन्नीलाल गुप्ता	श्री काशीराम गुप्ता	के0म0 शाखा देहरादून	निर्माण शाखा, नुनिकीरेती	जनहित
06	सुभान अली	श्री करम कर्मुल्लाह	नि0शाखा, बागेश्वर	निर्माण शाखा, डीडीडहाट	जनहित
07	क्यू0एम0 जैदी	श्री अतर हसन जैदी	देहरादून शाखा, देहरादून	निर्माण शाखा, कोटद्वार	जनहित
08	सुशील कुमार शर्मा	श्री प्रेम दत्त शर्मा	पी0आई0यू0, यू0यू0एस0डी0आई0पी0, नैनीताल (प्रतिनियुक्ति)	पी0आई0यू0, यू0यू0एस0डी0आई0पी0, नैनीताल (प्रतिनियुक्ति)	स्थानीय (प्रोफार्मा पदोन्नति)
09	ननमोहन सिंह सरपाल	श्री मेगा मल सरपाल	नि0शाखा, देहरादून	निर्माण शाखा, मसूरी	जनहित
10	महेश चन्द्र दुर्गापाल	श्री एस0बी0 दुर्गापाल	नि0शाखा, हल्द्वानी	निर्माण शाखा, उधमसिंहनगर	जनहित
11	उमराव सिंह घुघत्याल	श्री देव सिंह घुघत्याल	नि0शाखा, हल्द्वानी	निर्माण शाखा, डीडीडहाट	जनहित

क्रमशः पेज - 2 -

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाव लें।"  
वैधानिक चेतना- जल संचय को प्रोत्साहित करना जल संसाधन सुरक्षा है।

क्र० सं०	अपर सहा०अभि० का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
12	बसन्त कुमार तिवारी	श्री जीवानन्द तिवारी	नि०शाखा, हल्द्वानी	निर्माण शाखा, भिकियासैन	जनहित
13	चावस नाथ राय	श्री एस०एन० राय	नि०शाखा, देहरादून	निर्माण शाखा, हरिद्वार	जनहित
14	हरीश चन्द्र पाठक	श्री रामसुभग पाठक	नि०शाखा, चम्पावत	निर्माण शाखा, भिकियासैन	जनहित
15	मोहनचन्द्र उप्रेती	श्री देवी दत्त उप्रेती	निर्माण इकाई, ऊधमसिंहनगर	निर्माण शाखा, पिथौरागढ़	जनहित
16	राजेन्द्र सिंह	श्री लाखन सिंह	निर्माण इकाई, ऊधमसिंहनगर	निर्माण शाखा, काशीपुर	जनहित

६०/—

(योगेन्द्र सिंह)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पू०सं० एवं दिनांक तद्वैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. उप कार्यक्रम निदेशक, यू०यू०एस०डी०आई०पी०, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू०, यू०यू०एस०डी०आई०पी०, नैनीताल।
8. अधिष्ठान अनुभाग।
9. गार्ड फाईल।

६०/—

(प्रेम सिंह)

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

६०/—



कार्यालय : 2678078  
2672404

फैक्स : 0135-2672337  
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

# उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 133/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0अभियन्ता (सिविल)/12

दिनांक 02/11/12

## // कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 + 5400 (ग्रेड-पे) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में तैनाती की जाती है।


- जिन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती जनहित में की गयी है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय होगा तथा जिनकी पदोन्नति/तैनाती स्थानीय है, उन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
- पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नत कार्यालय पर दिनांक 12.11.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं है। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो (Forego)मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अपर सहा0अभि0 का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	नर सिंह तिवारी	श्री पारस नाथ तिवारी	नि0शाखा, पुरोडी	निर्माण शाखा, श्रीनगर	जनहित
02	प्रेम सिंह रावत	श्री गुमान सिंह रावत	देहरादून शाखा, देहरादून	निर्माण शाखा, चम्बा	जनहित
03	सुरेश कुमार	श्री हरकिरण सिंह	निर्माण शाखा, मुनिकीरेती	द्वि0 निर्माण शाखा, पौड़ी	जनहित
04	हरिशंकर मिश्रा	श्री आर0ए0 मिश्रा	नि0 शाखा, बागेश्वर	निर्माण शाखा, बागेश्वर	स्थानीय
05	सुधीर कुमार	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	निर्माण शाखा, मसूरी	निर्माण शाखा, देहरादून	स्थानीय
06	सूर्यमान विश्वकर्मा	श्री फूलचन्द्र विश्वकर्मा	नि0शाखा, अल्मोड़ा	निर्माण शाखा, पिथौरागढ़	जनहित
07	निर्मल कुमार दूबे	श्री मुन्ना लाल दूबे	नि0 शाखा, बागेश्वर	निर्माण शाखा, गंगोलीहाट	जनहित
08	नरेश कुमार चौहान	श्री इन्द्र सिंह चौहान	नि0शाखा, देहरादून	निर्माण शाखा, गोपेश्वर	जनहित
09	शैलेश चन्द रमोला	श्री भीष्मचन्द्र रमोला	निर्माण इकाई, श्रीनगर (गढ़वाल)	अस्थाई निर्माण इकाई, पौड़ी	जनहित
10	कमलेश कुमार भट्ट	श्री तारा दत्त भट्ट	नि0शाखा, उधमसिंहनगर	निर्माण शाखा, चम्पावत	जनहित
11	मदन पुरी	श्री विशन पुरी	निर्माण इकाई, बागेश्वर	निर्माण शाखा, पिथौरागढ़	जनहित

क्रमशः पेज - 2 -

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"  
वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।


क्र० सं०	अपर सहा०अभि० का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
12	रामजीराम वर्मा	श्री पंचदेव राम	नि०शाखा, रानीखेत	निर्माण शाखा, रानीखेत	जनहित
13	केशवदत्त भट्ट	श्री सदा नन्द भट्ट	निर्माण इकाई, रामनगर	निर्माण शाखा, अल्मोड़ा	जनहित
14	अरविन्द कुमार चतुर्वेदी	श्री हरगोविन्द चतुर्वेदी	प्रधान कार्यालय, देहरादून	मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, देहरादून	स्थानीय
15	सतीश कुमार शर्मा	श्री एस०एन० शर्मा	पी०आई०यू०-२, यू०यू०एस०डी०आई०पी०, देहरादून (प्रतिनियुक्ति)	पी०आई०यू०-२, यू०यू०एस०डी०आई०पी०, देहरादून (प्रतिनियुक्ति)	स्थानीय (प्रोफार्मा पदोन्नति)
16	प्रदीप कुमार अग्रवाल	श्री ब्रह्मा नन्द गर्ग	नि० एवं अनु० इकाई (गंगा), श्रीनगर	निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) श्रीनगर	स्थानीय

  
 (योगेन्द्र सिंह)  
 मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) महोदय के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
- मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- उप कार्यक्रम निदेशक, यू०यू०एस०डी०आई०पी०, देहरादून।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू०, यू०यू०एस०डी०आई०पी०, देहरादून।
- अधिष्ठान अनुभाग।
- गार्ड फाईल।

  
 (प्रेम सिंह)  
 महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)  
 प्र०



कार्यालय : 2678078  
2672404

फैक्स : 0135-2672337  
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

# उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक..... 134/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0 अभियन्ता (सिविल)/12 दिनांक..... 02/11/12

## // कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित संगणक (सिविल) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रू० 15600-39100 + 5400 (ग्रेड-पे) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में तैनाती की जाती है।

1. जिन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती जनहित में की गयी है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय होगा तथा जिनकी पदोन्नति/तैनाती स्थानीय है, उन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
2. पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नत कार्यालय पर दिनांक 12.11.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो (Forego) मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	हर्षमणि पन्त	स्व० श्री श्याम लाल पन्त	नि०शा०, उत्तरकाशी	नि०शा०, उत्तरकाशी	स्थानीय
02	चन्दन सिंह बिष्ट	स्व० श्री नारायण सिंह बिष्ट	निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा	निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा	स्थानीय
03	शेखर चन्द्र तिवारी	श्री गोपाल दत्त तिवारी	नि०शा०, हल्द्वानी	निर्माण शाखा, लोहाघाट	जनहित

ए/—  
(योगेन्द्र सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

### पृ०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (शहवाल/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

प्रेम सिंह  
महाप्रबन्धक (मूजल/सर्वेक्षण)  
H.P.O.

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"  
वैज्ञानिक संतावली - जल स्रोतों को प्रदूषित करवा इच्छणीय व्यवहार है।



कार्यालय 2678025  
2672404

फैक्स 0135-2672333  
ई-मेल upsvnn@gmail.com

# उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 135/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0अभियन्ता(वि0याँ0) /12 दिनांक 02/11/12

## // कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित संगणक (वि0याँ0) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (वि0याँ0) के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 + 5400 (ग्रेड-पे) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तैनाती की जाती है।

1. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थानीय होने के कारण इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
2. पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नत कार्यालय पर दिनांक 12.11.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो (Forego)मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	श्री विजय कुमार शर्मा	श्री सी0एम0एल0 शर्मा	यांत्रिक शाखा, देहरादून	परियोजना प्रबन्धक यांत्रिक इकाई, देहरादून	स्थानीय

(योगेन्द्र सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पू0सं0 एवं दिनांक तदैव :-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) सहोदय के संज्ञानार्थ।
  2. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/मैनीताल।
  3. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
  4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
  5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
  6. अधिष्ठान अनुभाग।
  7. चार्ज फाईल।

(प्रेम सिंह)

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

P.O.



कार्यालय : 2678078  
2672404

फैक्स : 0135-2672337  
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

57

# उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 136/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0अभियन्ता(वि0याँ0) /12

दिनांक 02/11/12

## // कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता (वि0याँ0) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (वि0याँ0) के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 + 5400 (ग्रेड-पे) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में तैनाती की जाती है।

- इन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थानीय होने के कारण इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
- पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नत कार्यालय पर दिनांक 12.11.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो (Forego) मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अपर सहा0अभि0 का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	श्री विनय कुमार सक्सेना	श्री कृष्णा स्वरूप सक्सेना	नि0 एवं अनु0 इ0 (याँ0)/गंगा, हरिद्वार	नि0 एवं अनु0 इ0 (याँ0)/गंगा, हरिद्वार	स्थानीय
02	श्री रामकुमार शर्मा	श्री एस0एन0 शर्मा	याँत्रिक शाखा, अल्मोड़ा	याँत्रिक शाखा, अल्मोड़ा	स्थानीय

६०/—  
(योगेन्द्र सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पु0सं0 एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) महोदय के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
- मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- अधिष्ठान अनुभाग।
- गार्ड फाईल।

६०/—  
(प्रेम सिंह)

महाप्रबन्धक (सूजल/सर्वेक्षण)

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"

वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना राष्ट्रीय अपराध है।





कार्यालय : 2676  
2672

फैक्स : 0135-2672387  
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

33

उत्तराखण्ड

संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रध

य : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक : 148/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0अभियन्ता (सिविल)/12 दिनांक 22/12/12

// // कार्यालय-ज्ञाप // //

एतद् द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 15600-39100 + 5400 (ग्रेड-पे) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में तैनाती की जाती है।

- जिन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती जनहित में की गयी है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय होगा तथा जिनकी पदोन्नति/तैनाती स्थानीय है, उन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
- पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नत कार्यालय पर दिनांक 31.12.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो (Forego) मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अपर सहा0अभि0 का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
	<b>सिविल :-</b>				
01	श्री उपेन्द्र कुमार	श्री लाल सिंह	नि0एवं अनु0ई0 (गंगा), हरिद्वार	निर्माण शाखा, उत्तरकाशी	जनहित में
02	श्री कान्ता प्रसाद सती	श्री धर्मानन्द सती	नि0शा0, श्रीनगर	निर्माण शाखा, देवप्रयाग	जनहित में
03	श्री गिरिजाभूषण जोशी	श्री हरिनन्दन जोशी	ए0डी0बी0 यूनिट, नैनीताल	ए0डी0बी0 यूनिट, नैनीताल	स्थानीय (प्रोफार्मा पदोन्नति)

२०१-  
(योगेन्द्र सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

**पू0सं0 एवं दिनांक तदैव :-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- व्यक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) महोदय के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
- मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- उप कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0आई0पी0, देहरादून।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0, यू0यू0एस0डी0आई0पी0, नैनीताल।
- अधिष्ठान अनुभाग।
- गार्ड फाईल।

२०२-  
(प्रेम सिंह)  
महाप्रबन्धक (मूजल/सर्वेक्षण)

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाईये।"

वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।



कार्यालय : 2678078  
: 2672404

फैक्स : 0135-2672387  
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

34

# उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 147/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0 अभियन्ता (वि0याँ0) /12 दिनांक 22/12/12

## // कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित संगणक (वि0याँ0) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (वि0याँ0) के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 + 5400 (ग्रेड-पे) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तैनाती की जाती है।

1. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थानीय होने के कारण इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
2. पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नत कार्यालय पर दिनांक 31.12.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो (Forego) मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	संगणक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	श्री गौरैया सिंह नेगी	श्री गुलाब सिंह नेगी	निर्माण इकाई, देहरादून	निर्माण इकाई (याँत्रिक), देहरादून	स्थानीय (दिनांक 31.05.2013 को सेवानिवृत्त होने के कारण)

80-  
(योगेन्द्र सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पू0सं0 एवं दिनांक तदैव :-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) महोदय के संज्ञानार्थ।
  2. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
  3. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
  4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
  5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
  6. अधिष्ठान अनुभाग।
  7. गार्ड फाईल।

80-  
(प्रेम सिंह)  
महाप्रबन्धक (मूजल/सर्वेक्षण)

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"

वैज्ञानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दृष्टनीय अपराध है।



कार्यालय : 2678078  
: 2672404

फैक्स : 0135-2672331  
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

35

# उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक..... 146/मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0अभियन्ता (सिविल)/12 दिनांक..... 22/12/12

## // कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित संगणक (सिविल) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 + 5400 (ग्रेड-पे) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में तैनाती की जाती है।

- इन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
- पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नत कार्यालय पर दिनांक 31.12.2012 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो (Forego) मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र० सं०	संगणक का नाम (सर्व श्री)	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	श्री रघुनाथ सिंह राणा	निर्माण इकाई (यांत्रिक), देहरादून	निर्माण मण्डल, देहरादून	स्थानीय
02	श्री लक्ष्मी प्रसाद रतूड़ी	श्री ज्ञानानन्द रतूड़ी	निर्माण इकाई, ऋषिकेश	निर्माण इकाई, ऋषिकेश	स्थानीय

२०/-  
(योगेन्द्र सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) महोदय के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
- मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- अधिष्ठान अनुभाग।
- गार्ड फाईल।

२०/१२/१२  
(प्रेम सिंह)  
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"

वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।

# उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 186 / मु0अ0(मु0)-अधि0 सामान्य-सहा0 अभियन्ता (सिविल) / 07 दिनांक 11 / 01 / 13

## // कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 + 5400 (ग्रेड-पे) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तैनाती की जाती है।

1. पदोन्नत कार्मिक की तैनाती जनहित में होने के कारण इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय होगा।
2. पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नत कार्यालय पर दिनांक 19.01.2013 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो (Forego) मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र० सं०	अपर सहा०अधि० का नाम	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
	सिविल :-				
01	श्री राधा कृष्ण सिंह	श्री असरफी लाल	निर्माण शाखा, मुनिकीरेती	नि० एवं अनु० इकाई (गंगा), श्रीनगर	जनहित में

(योगेन्द्र सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पु०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

01/1/2013  
(प्रेम सिंह)  
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"

वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।



कार्यालय : 2678078  
: 2672404

फैक्स- : 0135&2672337  
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

## उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11- मोहिनी रोड, देहरादून 248001

पत्रांक.....5.11

/अधिष्ठान अनुभाग-अधि0सहा0 अभियन्ता (सिविल)/ 14 दिनांक..... 12/02/13

### // कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 + 5400 (ग्रेड-पे) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तैनाती की जाती है।

पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नत कार्यालय पर दिनांक 22.02.2013 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं है। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो (Forego) मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अपर सहा0अभि0 का नाम	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
	सिविल :-				
01	श्री अरूण कुमार त्यागी	श्री कृष्ण कुमार त्यागी	निर्माण इकाई, उधमसिंहनगर	निर्माण इकाई, उधमसिंहनगर	स्थानीय
02	श्री मुकेश चन्द्र जोशी	श्री केशव दत्त जोशी	देहरादून शाखा, देहरादून	निर्माण शाखा, पुरोड़ी	जनहित

क्रमांक-1 पर अंकित कार्मिक की तैनाती स्थानीय होने के कारण उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा एवं क्रमांक-2 पर अंकित कार्मिक की तैनाती जनहित में होने के कारण उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय होगा।

12/2/13

(योगेन्द्र सिंह)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) महोदय के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
- मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- गार्ड फाईल।

(प्रेम सिंह)

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

"जल संचय-जीवन संचय" कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाईये।"

वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।



कार्यालय - 2678078  
2672404

फैक्स - 013532672337  
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

# उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11- मोहिनी रोड, देहरादून 248001

/ अधिष्ठान अनुभाग-अधि० सहा० अभियन्ता (सिविल) / दिनांक ०५/०३/१३

## // कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभियन्ता सेवा विनियमावली-2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 15600-39100 + 5400 (ग्रेड-पे) में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तैनाती की जाती है।

1. पदोन्नत कार्मिक की तैनाती स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
2. पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नत कार्यालय पर दिनांक 12.03.2013 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो (Forego) मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र० सं०	अपर सहा० अभि० का नाम	पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
	सिविल :-				
01	श्री ठाकुर दत्त गुंसाई	श्री धर्मचन्द्र गुंसाई	निर्माण इकाई, ऋषिकेश	निर्माण इकाई, ऋषिकेश	स्थानीय

२०/—  
(योगेन्द्र सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ० सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

१२/३/१३  
(प्रेम सिंह)  
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)